

# शिक्षा की एकीकृत जिला सूचना प्रणाली



## Help Module for **UDISE+ Data Capture Format 2021-22**

Unified District Information System for Education +



Samagra Shiksha

राज्य परियोजना निदेशक  
समग्र शिक्षा

शिक्षा सदन 3<sup>rd</sup> व 4<sup>th</sup> तल, सैक्टर 5 पंचकुला

फैक्स: 0172-2586026, Email ID : udiseplus.queries2122@gmail.com.

Web Site : <http://www.udiseplus.gov.in/> and <http://www.hsspp.in/UDISE.aspx>

## सावधान !!!

### यू-डाईस प्रपत्र भरने के लिए विशेष निर्देश अवश्य पढ़ें

- 1 गत वर्ष भरे U-DISE+ DCF के आधार पर Table 3.3 तक के पेज की सभी सूचनाओं को प्रिन्ट करके दिया गया हैं। इन सबको चैक करें अगर सूचना गलत भरी है तो इन्हें काट कर Red Pen से पुनः भर दें। यदि ठीक हो तो सही का निशान लगायें।
- 2 U-DISE+ Data Capture Format (DCF) 2021-22 सभी सरकारी, गैर-सरकारी, राजकीय सहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त व गैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों (जिनको UDISE+ Code दिया गया है), मान्यता प्राप्त मदरसों वगैरह पंजीकृत मदरसों द्वारा भरा जाना है। DCF में सूचना **30 सितम्बर, 2021** के आधार पर भरी जानी है।
- 3 एक ही प्रांगण में दो प्राथमिक, दो मिडल, दो हाई या दो व0 मात्र विद्यालय स्थित हों तो ये अलग यू-डाईस भरेंगे।
- 4 सभी राजकीय प्राथमिक विद्यालय (कक्षा 1 से 5) अलग से U-DISE+ DCF भरेंगे चाहे वे विद्यालय मिडल, हाई व वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के साथ एक ही प्रांगण में या एक ही गाँव में स्थित हों।
- 5 सभी राजकीय सहायता प्राप्त (Govt. Aided) व गैर सहायता प्राप्त विद्यालय (Govt. Un-aided) कक्षा प्रथम से विद्यालय की उच्चतम कक्षा तक के लिए एक ही U-DISE+ DCF भरेंगे।
- 6 प्रारम्भिक स्तर: राजकीय प्राथमिक विद्यालय (कक्षा 1 से 5), मिडल स्कूल (कक्षा 6 से 8), हाई व वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कक्षा 6 से 8 तक की सूचना व Private School कक्षा 1 से 8 तक की सूचना प्रारम्भिक स्तर (Elementary level) पर भरें।
- 7 राजकीय विद्यालय SMC/SMDC की सभी जानकारी ठीक भरें।
- 8 गत वर्ष U-DISE+ DCF में कक्षा कक्षों, अन्य कक्षों, शौचालय व मूत्रालयों की सख्त्या दी गई थी व पानी की सुविधा का प्रकार भरा था। इनमें परिवर्तन न करें यदि परिवर्तन कर रहे हैं तो कारण अवश्य लिखें कि कक्ष नया बना या जीर्ण शीर्ण हो गया या शौचालय व मूत्रालयों की सख्त्या में परिवर्तन कर्यों हैं। भाग 2 बिंदु 2.4 (a), 2.4 (b) में कक्षा कक्षों, 2.4 (c) में अन्य कक्षों व बिंदु 2.5 (a), 2.5 (b) व 2.5 (c) में शौचालय व मूत्रालयों की सख्त्या एक बार ठीक भरने के पश्चात् परिवर्तन ध्यानपूर्वक करें।
- 9 भौतिक सुविधाओं और उपकरणों के संबंध में UDISE+ DCF के सभी डेटा भौतिक सुविधाओं के वास्तविक उपयोग के आधार पर भरे जाएंगे। उदाहरण के लिए, 2009-10 में एक स्कूल में एक विज्ञान प्रयोगशाला (Science Lab) का निर्माण किया गया था, लेकिन वर्तमान में स्कूल इसे कक्षा कक्ष (Classroom) के रूप में उपयोग कर रहा है तो इसे UDISE + DCF भरते समय कक्ष माना जायेगा, विज्ञान प्रयोगशाला (Science Lab) नहीं।
- 10 अध्यापकों से सम्बन्धित सूचनायें सारणी 3.3 में प्रिन्ट की हैं। इन सभी को चैक करें। यदि इसमें से कोई अध्यापक सेवानिवृत्त हो गया या बदली हो गई उन्हें काट दे व कारण लिखें। यदि नये अध्यापक ने कार्य ग्रहण कर लिया या किसी अध्यापक की पहले सूचनायें नहीं भरी, उन सभी का विवरण साथ दी गई खाली सारणी में भरें। सभी सूचनाओं का कोड नं ठीक भरें।
- 11 किसी भी सूचना का कोड नं भरते समय अतिरिक्त सावधानी रखें, कोड भरते समय प्रपत्र के प्रत्येक प्रश्न के लिये दी हिदायतों को ध्यान से अवश्य पढ़ें व उचित कोड का प्रयोग करें। DCF को पहले pencil से भरें, चैक करने के बाद pen से भरें।
- 12 Shift School: एक ही स्कूल भवन की कमी के कारण अगर दो पारीयों में चलता है तो Shift School माना जाएगा। दोनों Shift का एक ही UDISE+ DCF भरा जाना है यदि दो अलग- अलग स्कूल एक ही भवन में अगर दो पारीयों में चल रहे हों तो इनमें से एक स्कूल भवन हीन है व दोनों स्कूल अलग- अलग UDISE DCF भरेंगे। दो स्कूल एक ही भवन में अगर एक ही समय चल रहे हों तो यह Shift School नहीं है।
- 13 स्कूल में खेल का मैदान न हो लेकिन यदि स्कूल के आस पास पड़ोस के स्कूल के खेल का मैदान, खेल स्टेडियम, नगरपालिका का मैदान या पार्क आदि खेल के मैदान के लिये उपलब्ध है तो बिंदु 2.12 में उपलब्ध (हाँ =1) दिखायें।
- 14 स्कूल में कक्ष व सुविधाओं के लिये जमीन न हो लेकिन प्रथम तल पर कक्ष व सुविधाओं को बनाया जा सकता है तो स्कूल भाग 2 के बिंदु 2.11 में स्थान कि उपलब्धता (हाँ = 1) दिखायें।
- 15 आंकड़ा अधिग्रहण प्रपत्र में सभी आंकड़े ठीक भरने के पश्चात् इसकी एक फोटो प्रति प्रत्येक विद्यालय अपने रिकॉर्ड में अवश्य रखें।
- 16 CWSN बच्चों की संख्या Special Teacher से उनकी निःशक्तता के सभी 21 प्रकार के आधार पर पहचान करवा कर सही भरें।

## खंड 1: स्कूल का विवरण (स्थान, प्रबंधन एवं अनुदेश का माध्यम)

बिन्दु 1.1 से 1.5, 1.7 & 1.8 को English Capital Letter में भरें।

- 1-1 **Name of School/विद्यालय का नाम:** अधिकारिक अभिलेखों (Official Records) के अनुसार विद्यालय का पूरा नाम लिखा जाना चाहिए। विद्यालय/ शहर/ गाँव/ पंचायत का नाम लिखते समय इनके नामों की (Spellings) को ना बदला जाये।
- 1-2 **Name of District/जिले का नाम:** बिन्दु 1.2 में जिले का नाम भरा जायेगा। यदि गलत भरा हो तो ठीक किया जाये।
- 1-3 **Name of UDISE+ Block/यूडाइएस प्लस ब्लॉक का नाम :** इसमें एजुकेशनल ब्लॉक का नाम भरा जाये। हरियाणा में कुल 119 एजुकेशनल ब्लॉक हैं। अगर गलत दिया हो तो ठीक करें।
- 1-4 **Is the school located in Rural or Urban Area/विद्यालय कहाँ स्थित हैं ग्रामीण (Rural)/शहरी (Urban):** यदि विद्यालय ग्रामीण क्षेत्र में है तो विकल्प 1 भरें और अगर शहरी क्षेत्र में स्थित हैं तो विकल्प 2 भरें।

### यदि गाँव (Rural) का एरिया है तो

- 1.4(a) **Name of Revenue/CD Block)/ सामुदायिक विकास खण्ड का नाम:-** विद्यालय जिस सामुदायिक विकास खण्ड में स्थित है, उस खण्ड का नाम भरा जायेगा।
- 1.4(b) **Village Name (as per LGD)/गाँव का नाम (LGD के अनुसार):** ग्रामीण क्षेत्रों के प्रसंग में राजस्व विभाग के अभिलेखों के अनुसार गाँव का नाम अंकित करें।
- 1.4(c) **Name of Gram Panchayat (as per LGD)/ग्राम पंचायत का नाम (LGD के अनुसार):** ग्रामीण क्षेत्र के प्रसंग में उस ग्राम पंचायत का नाम लिखिए जहाँ विद्यालय स्थित है। यदि किसी गाँव में पंचायत नहीं है व विद्यालय बना हुआ हो तो वह गाँव जिस पंचायत से सम्बन्धित है उस पंचायत का नाम लिखिए। एक से अधिक पंचायत की स्थिति में उस पंचायत का नाम लिखें जहाँ पर विद्यालय स्थित है।

### यदि शहरी (Urban) एरिया है तो

- 1.4(d) **Name of Urban Local Body (Municipality/Nagar Panchayat)/ शहरी स्थानीय निकाय (नगरपालिका/नगर पंचायत) का नाम:-** विद्यालय यदि शहर के क्षेत्र में स्थित है तो नगरपालिका/नगर पंचायत का नाम अंकित करें।
- 1.4(e) **Ward Number (as per LGD)/वार्ड संख्या (LGD के अनुसार):** शहरी क्षेत्र के प्रसंग में नगर पालिका की वार्ड संख्या का उल्लेख करें, जहाँ विद्यालय स्थित है।
- 1-5 **Address of School/स्कूल का पता:** कृपया विद्यालय का पूरा पता भरें।
- 1-6 **Pin Code/(पिन कोड):** जहाँ विद्यालय स्थित है उस गाँव/वार्ड की पिन कोड संख्या अंकित करें।
- 1-7 **Name of Cluster Resource Centre (CRC)/क्लस्टर संसाधन केन्द्र का नाम:** उस क्लस्टर संसाधन केन्द्र (CRC Centre) का नाम लिखिए जिसके अंतर्गत विद्यालय है। विभाग की website: www.hsspp.in पर क्लस्टर से सम्बंधित स्कूलों की सूची दी गई है। एच.एस.एस.पी.पी. आदेश संख्या एचएसएसपीपी/पीएलजी/2021/1666-76 दिनांक 30.4.2021 के तहत अधिसूचित कुल 1415 सी.आर.सी. हैं और शिक्षा विभाग के स्कूलों से जोड़ा मैप किया गया। सभी लंबित और नए स्कूल (प्राइवेट और अन्य प्रबंधन स्कूलों सहित) को जारी निर्देशों के अनुसार लिंक/मैप किया जाएगा। निजी स्कूल संबंधित BRC-cum-BEO कार्यालय से सी.आर.सी. के बारे में पूछ सकते हैं कि स्कूल किस सी.आर.सी. के तहत कवर किया गया है।
- 1-8 (a) **Name of Assembly Constituency/विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम:-** विद्यालय जिस विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में स्थित है उस विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम अंकित करें।
- (b) **Name of Parliamentary Constituency/संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का नाम:-** विद्यालय जिस संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में स्थित है उस संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का नाम अंकित करें।
- 1-9 **Geographic Location (In Degree and Decimal for Ex-78.962883)/भौगोलिक स्थान (डिग्री और दशमलव में):** स्कूल के अक्षांश व देशांतर की डिग्री और दशमलव में बिलकुल सही जानकारी दी जाये। इसके लिए गूगल मैप से सहायता ली जा सकती है।
- 1-10 **School Contact Details/ स्कूल संपर्क विवरण.** स्कूल से संपर्क के सभी माध्यमों जैसे लैट लाइन फोन, मोबाइल फोन, ईमेल व वेबसाइट की सही जानकारी दी जानी चाहिए। इस भाग में विद्यालय कार्यालय का फोन नं. STD सहित दिया जाना चाहिए।
- 1-11 **Head of School (HoS)/Incharge Details/विद्यालय मुखिया:** प्रथम भाग में विद्यालय कार्यालय का फोन नं. STD सहित व दूसरे भाग में मुखिया का मोबाइल नं. दिया जाना है।
- 1-12 **School Category/विद्यालय का स्तर:** उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए जो लागू होता हो। विद्यालय में सबसे छोटी और सबसे ऊँची कक्षा से ही विद्यालय की श्रेणी का निर्धारण होता है जैसा कि निम्नलिखित संकेत किया गया है।
- (1) प्राथमिक विद्यालय (कक्षा 1 से 5): वे विद्यालय जिनमें कक्षा 1 से 5 तक की कक्षायें लगती हैं।
- (2) प्राथमिक से मिडल (कक्षा 1 से 8):— ऐसा विद्यालय जिनमें 1 से 8 तक कक्षाएँ हैं।
- (3) प्राथमिक से व.मा.वि. (कक्षा 1 से 12):— ऐसा विद्यालय जिनमें कक्षा 1 से 12 तक की शिक्षा का प्रावधान है।
- (4) केवल माध्यमिक (मिडिल) (कक्षा 6 से 8):— ऐसे विद्यालय जिनमें कक्षा 6 से कक्षा 8 तक की शिक्षा दी जाती है।
- (5) मिडल से हाई स्कूल एवं व.मा.वि.(कक्षा 6 से 12):— ऐसे विद्यालय जिनमें कक्षा 6 सबसे छोटी और कक्षा 12 सबसे ऊँची कक्षा है।
- (6) प्राथमिक से हाई स्कूल (कक्षा 1 से 10):— ऐसे विद्यालय जिनमें कक्षा 1 से कक्षा 10 तक की शिक्षा दी जाती है।
- (7) मिडिल से हाई स्कूल (कक्षा 6 से 10):— ऐसे विद्यालय जिनमें कक्षा 6 से कक्षा 10 तक की शिक्षा दी जाती है।
- (8) केवल सैकंडरी स्कूल (कक्षा 9 व 10):— ऐसे विद्यालय जिनमें कक्षा 9 से कक्षा 10 तक की शिक्षा दी जाती है।

- (10) सैकेण्डरी व सीनियर सैकेण्डरी (कक्षा 9 से 12) : ऐसे विद्यालय जिनमें कक्षा 9 से कक्षा 12 तक की शिक्षा दी जाती है।  
 (11) केवल सीनियर सैकेण्डरी (कक्षा 11 व 12) : ऐसे विद्यालय जिनमें कक्षा 11 व कक्षा 12 की शिक्षा दी जाती है।

**1-13 Lowest and highest classes in the school (स्कूल में निम्नतम एवं उच्चतम कक्षाएं):**

- (a) विद्यालय में सबसे छोटी कक्षा उदाहरण (01, 06, 09, 11): विद्यालय की कक्षाओं के अनुसार सबसे छोटी कक्षा (01, 06, 09, 11) भरे जिसके लिए विद्यालय शिक्षा प्रदान करता है। विद्यालय में उच्चतम कक्षा उदाहरण (05, 08, 10, 12): विद्यालय की कक्षाओं अनुसार सबसे बड़ी कक्षा (05, 08, 10, 12) भरे जिसके लिए विद्यालय शिक्षा प्रदान करता है।  
 (b) विद्यालय से संलग्न पूर्व प्राथमिक कक्षा (प्रथम से पूर्व छोटी कक्षा शैक्षिक सुविधाएँ (आंगनवाड़ी छोड़ कर) उपलब्ध? /Whether pre-primary section (other than Anganwadi) attached to school? : यदि कोई पूर्व प्राथमिक अनुभाग स्कूल के साथ संलग्न है कृपया हां = 1 भरें, यदि संलग्न नहीं है 2 भरें।

**1-14 Type of School/विद्यालय का प्रकार:** विद्यालय के लिये उचित कोड भरें :-

- (1) Boys only/केवल बालकों के लिए: वे विद्यालय जिनमें केवल बालक (Boys) ही पढ़ रहे हैं।  
 (2) Girls only/केवल बालिकाओं के लिए: वे विद्यालय जिनमें केवल बालिकाएं (Girls) ही पढ़ रही हैं।  
 (3) Co-Edu./सह शिक्षा व्यवस्था वाले: वे विद्यालय जिनमें बालक और बालिकाएं दोनों पढ़ रहे हैं।

नोट:-अगर विद्यालय कि किसी भी कक्षा में लड़के व लड़कियां दोनों पढ़ रहे हैं तो (Co-Education-3) कोड भरा जाना है चाहे विद्यालय का नाम Girls School या Boys School हो। जब स्कूल में केवल लड़के ही पढ़ते हो तथा एक भी लड़की नहीं पढ़ती हो तो कोड (1) भरे। स्कूल में केवल लड़कियां ही पढ़ती हो तथा एक भी लड़का न पढ़ता हो तो कोड (2) भरें।

**1-15 Management of the School/विद्यालय का प्रबन्धन:** उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए जो लागू हो। विद्यालय प्रबन्धन का संकेत निम्नवत दिया जाता है:-

**(Department of Education/शिक्षा विभाग= 1, Tribal Welfare Department/अनुसूचित जनजाति (ST) कल्याण विभाग=2, Local Body/स्थानीय निकाय= 3, Government Aided/राजकीय सहायता प्राप्त निजी विद्यालय=4, Private Unaided (Recognized)/गैर सहायता प्राप्त निजी विद्यालय (प्राइवेट)= 5, Other State Govt. managed schools/ राज्य के अन्य सरकारी प्रबंधन स्कूल=6, Unrecognized/गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय =8, Social Welfare Department/समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित स्कूल = 90, Ministry of Labour/अम मत्रालय द्वारा संचालित स्कूल=91, Kendriya Vidyalaya/केन्द्रीय विद्यालय=92, Jawahar Navodaya Vidyalaya/जवाहर नवोदय विद्यालय=93, Sainik School/सैनिक स्कूल=94, Railway School/रेलवे स्कूल=95, Central Tibetan School/केंद्रीय तिब्बती स्कूल= 96, Madarsa Pvt. and Aided (Recognized)/ निजी व सहायता प्राप्त मदरसा (मान्यता प्राप्त) =97, Madarsa Unrecognized/गैर मान्यता प्राप्त मदरसा=98, Other Central Govt./PSU Schools\*\* अन्य केंद्र सरकार / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम\*\*=101.**

- **शिक्षा विभाग (Department of Education):** सभी राजकीय विद्यालयों के लिए कोड न. 1 भरें।
- **सहायता प्राप्त निजी विद्यालय (Govt. Aided):** इस श्रेणी में ऐसे मान्यता प्राप्त विद्यालय आते हैं जो किसी व्यक्ति न्यास (ट्रस्ट) या निजी संगठन द्वारा संचालित हैं और जिन्हें राज्य सरकार से रख-रखाव हेतु नियमित रूप से अनुदान (Grants) प्राप्त होता है। परन्तु इस श्रेणी के सभी स्कूलों को विभाग द्वारा अनुदान देना बंद कर दिया है। अब यह स्कूल गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूल (Pvt. Unaided-Recognized) का कोड न. 5 भरें।
- **गैर-सहायता प्राप्त निजी विद्यालय (Pvt. Unaided-Recognized) :** किसी व्यक्ति या संगठन द्वारा संचालित विद्यालय कोड न. 5 भरें।
- **राज्य के अन्य सरकारी प्रबंधन स्कूल (Other State Govt. managed schools):-** Sports School Rai (Sonipat) व राधाकृष्ण स्कूल (शिक्षा बोर्ड भिवानी) विद्यालय कोड 6 भरें।
- **गैर-मान्यता प्राप्त विद्यालय (Unrecognised) :** इस श्रेणी में ऐसे स्कूल आते हैं जिनको विभाग व किसी भी शिक्षा बोर्ड या अन्य अधीन स्वायत्त संगठनों आदि से मान्यता प्राप्त नहीं हैं। ऐसे स्कूलों के लिए कोड-8 भरें।
- अगर मदरसा मान्यता प्राप्त है तो 97 व मदरसा मान्यता प्राप्त नहीं है तो इसके लिए कोड 98 भरें।
- \*\*अन्य केंद्र सरकार / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (**Other Central Govt./PSU Schools**): यदि 1.15 (ए) में 101 कोड भरा है तो 1.15 (बी) में उचित कोड भरें।

**नोट:-राज्य में 2, 3, 90, 91, 95 व 96 कोड्स के कोई स्कूल नहीं है अतः इन कोड्स का प्रयोग न करें और यदि कोई नया स्कूल खुला है जिसके लिये इन कोड्स का प्रयोग करना पड़ रहा है तो कृप्या एक बार फोन पर सुनिश्चित कर लिया जाये।**

**1-16 Respondent details (In Capital letters)/ प्रतिवादी व्यक्ति का विवरण:-** कृप्या करके यू डाईस फार्म भरने वाले व्यक्ति का प्रकार, नाम व फोन नंबर भरें। U-DISE प्रपत्र को Computerized करते समय अगर प्रपत्र

में कोई त्रुटि पाई गई तो सम्बन्धित व्यक्ति से उचित जानकारी प्राप्त की जायेगी। इस नम्बर का अन्यथा उपयोग नहीं किया जायेगा।

- 1-17 Number of sections by class (if the class is stand alone, has no section then enter 1)/कक्षावार सैक्षण की संख्या:** नियमानुसार प्रत्येक कक्षा में जितने सैक्षण या अनुभाग हैं, उनकी संख्या दी जाए। यदि कक्षा में केवल एक ही सैक्षण है तो 1 भरा जाए। प्रि-प्राइमरी के लिए प्रथम कक्ष से नीचे की कक्षाओं के सैक्षण भरें। अगर किसी स्कूल में नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी की क्लास है तो सभी क्लास के सैक्षण जोड़ें। उदाहरण के लिए यदि नर्सरी में 2 सैक्षण हैं, LKG में 2 सैक्षण हैं और UKG में भी 3 सैक्षण हैं तो प्री-प्राइमरी के लिए कुल सैक्षण 7 होंगे।
- 1-18 Year of Establishment of School/विद्यालय स्थापना का वर्ष :** उस वर्ष का उल्लेख कीजिए जब विद्यालय पहली बार प्रारम्भ/स्थापित किया गया। प्राथमिक विद्यालय का दर्जा बढ़ने से विद्यालय चाहे अब माध्यमिक, उच्च या व. मा. विद्यालय बन गया हो, स्थापना वर्ष वही रहेगा जब पहली बार उस विद्यालय की प्रथम कक्ष शुरू हुई थी।
- 1-19 Year of Recognition of School (Only for Govt. Aided and Private Unaids School) / विद्यालय को मान्यता का वर्ष:** विद्यालय को प्रारम्भिक स्तर (प्राथमिक या मिडल स्कूल), हाई स्कूल स्तर व सीनियर सैकेण्ट्री स्कूल स्तर की जिस वर्ष में मान्यता प्राप्त हुई वह वर्ष लिखें। राजकीय विद्यालयों में जब भी उपरोक्त स्तरों की कक्षाएं प्रारम्भ हुई वह वर्ष भरें।
- 1-20 Year of upgradation of the School (if applicable)/विद्यालय के उन्नयन का वर्ष:** प्राथमिक से आठवीं तक का स्कूल, मिडल से हाई स्कूल व हाई स्कूल से सीनियर सैकेण्ट्री स्कूल के उन्नयन (upgradation) का वर्ष भरें। (राजकीय स्कूल के लिए कॉलम 1.19 में दिये गए वर्ष को ही बिन्दु 1.20 में भरें। अन्य विद्यालय स्थिति अनुसार भरें।)
- 1-21 Is this a special school for CWSN?:** यदि विद्यालय केवल दिव्यांग (Divyang) बच्चों को ही शिक्षा प्रदान करता हो तो 1 कोड भरें अन्यथा 2 भरें। यदि कोड 1 भर रहे हों तो विद्यालय का प्रकार भी भरें।
- 1-22 Is this a shift school?/विद्यालय भवन में स्कूल पारी (Shift) में लगता है?:** एक ही स्कूल भवन की कमी के कारण अगर दो पारीयों में चलता है तो Shift School माना जाएगा। दोनों Shift का एक ही UDISE+ DCF भरा जाना है यदि दो अलग- अलग स्कूल एक ही भवन में अगर दो पारीयों में चल रहे हों तो इनमें से एक स्कूल भवन हीन है व दोनों स्कूल अलग- अलग UDISE+ DCF भरेंगे। दो स्कूल एक ही भवन में अगर एक ही समय चल रहे हैं तो ये Shift School नहीं हैं।
- 1-23 Does the school runs any Skill training centre after school hours?:** क्या स्कूल समय के बाद स्कूल कोई कौशल प्रशिक्षण केंद्र चलाता है? यदि हाँ तो कोड 1 भरें।
- 1-24 Is this a residential school?/क्या विद्यालय आवासीय विद्यालय है?**: उन विद्यालयों को आवासीय विद्यालयों के रूप में परिभाषित किया गया है जिनमें छात्रावास उपलब्ध है और जहाँ विद्यालय द्वारा छात्रों के लिये भोजन तथा निवास की सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाती है। विद्यालय के सभी छात्र अगर विद्यालय छात्रावास में रहते हैं तो कोड 1 भरें, यदि कुछ छात्र विद्यालय छात्रावास में नहीं रहते हैं तो कोड 2 भरें और यदि छात्रावास नहीं है तो कोड 3 भरें। अगर कोड 1 या 2 का प्रयोग कर रहे हैं तो आवासीय स्कूल का प्रकार भी भरें। यदि छात्रावास का प्रकार के.जी.बी.वी. या नेताजी सुभाष आवासीय विद्यालय है तो कक्षा वाँच छात्रों का विवरण दें।  
यदि विद्यालय आवासीय विद्यालय नहीं है व उसके छात्र किसी पास के अन्य छात्रावास में रहते हैं तो उसके लिये छात्रावास के प्रकार का उचित कोड भरा जाये।
- 1-25 Is this a minority managed school?/क्या यह अल्पसंख्यक प्रबंधित स्कूल है?:** यदि स्कूल अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा संचालित है व इस स्कूल में उस अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों को प्रवेश में वरीयता मिलती है तो यह धार्मिक अल्पसंख्यक स्कूल है। उदाहरण के लिए "एस.ए. जैन सीनियर सेकेंडरी स्कूल" जैन धर्म समुदाय द्वारा प्रबंधित किया जाता है और वे जैन छात्रों को प्रवेश एवं छात्रवृत्ति आदि के लिए भी वरीयता देते हैं। If Yes, type of minority community managing the School/यदि हाँ, तो स्कूल के अल्पसंख्यक समुदाय का प्रबंधन: यह स्कूल जिस अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा संचालित है उस समुदाय का कोड भरें। (Muslim/ मुस्लिम =1, Sikhs/ सिख =2, Jain/ जैन =3, Christians/ ईसाई =4, Parsi/ पारसी =5, Buddhist/ बुद्ध =6, Any Other/ कोई अन्य =7, Linguistic Minority/भाषाई अल्पसंख्यक =8)
- 1-26 Affiliation Board of school (Secondary level)/विद्यालय को किस बोर्ड से मान्यता प्राप्त है (सैकेण्ट्री):** हाई स्कूल व सीनियर सैकेण्ट्री स्कूल को जिस भी शिक्षा बोर्ड से परीक्षाओं के लिए मान्यता प्राप्त है उसका उचित कोड तथा मान्यता का नम्बर भरें। (CBSE = 1, State Board = 2, ICSE = 3, International Board = 4, Others = 5, Both CBSE & State Board =6)
- 1-27 Affiliation Board of school (Senior Secondary level)/विद्यालय को किस बोर्ड से मान्यता प्राप्त है (सीनियर सैकेण्ट्री):** हाई स्कूल व सीनियर सैकेण्ट्री स्कूल को जिस भी शिक्षा बोर्ड से परीक्षाओं के लिए मान्यता प्राप्त है उसका उचित कोड तथा मान्यता का नम्बर भरें। (CBSE = 1, State Board = 2, ICSE = 3, International Board = 4, Others = 5, Both CBSE & State Board =6) यदि कोड न0 5 का प्रयोग किया जा रहा है तो बोर्ड, जिससे मान्यता ली हुई है उस शिक्षा बोर्ड का नाम भरें।

- 1-28 Are majority of the pupils taught through their mother tongue at the primary level ?/क्या प्राथमिक स्तर पर अधिकांश बच्चों को शिक्षण उनकी मातृ भाषा में किया जाता है ?: यदि स्कूल में शिक्षण का माध्यम (Medium) बच्चों की मातृभाषा में किया जाता है तो हाँ = 1, यदि नहीं तो कोड = 2 भरें।**
- 1-29 Medium of instructions/विद्यालय में शिक्षण का माध्यम:** जिस भाषा में एक स्कूल सभी विषयों (भाषाओं को छोड़कर) को पढ़ाता है, उन भाषाओं को "शिक्षा का माध्यम" कहा जाता है। उदाहरण के लिए हरियाणा के मामले में हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू उर्दू माध्यम मदरसा द्वारा इस्तेमाल किया जा सकता है लेकिन हरियाणा में स्कूल हिंदी और अंग्रेजी माध्यम का उपयोग करते हैं।
- विद्यालय में प्रारम्भिक स्तर (Elementary Level), हाई स्कूल स्तर (Secondary Level) व सीनियर सैकेप्ट्री (Senior Secondary Level) स्कूल में प्रत्येक स्तर पर जिस भी भाषा के माध्यम से शिक्षण की व्यवस्था है तो कृप्या शिक्षण के माध्यम: का उचित कोड भरें । (हिंदी = 04; उर्दू =18; अंग्रेजी= 19).
- 1-30 Language(s) taught as a subject (mention up to three languages)/ भाषाओं को एक विषय के रूप में पढ़ाया जाता है (तीन भाषाओं तक का उल्लेख) :** वे भाषाएँ (भाषाएँ) जिन्हें विद्यालय में एक विषय के रूप में पढ़ाया जाता है। उदाहरण के लिए हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, तेलुगु, फ्रेंच, रूसी आदि भाषाएँ हैं जो ज्यादातर सामान्य भाषाएँ हैं जिन्हें विषय के रूप में पढ़ाया जाता है। किसी भी स्कूल के लिए हिंदी अनिवार्य भाषा है। जो भी भाषाएँ पढ़ाई जा रही हो उनका उचित कोड कॉलम 1 में भरें व कॉलम 2 में उन कक्षाओं की जानकारी दें जिनमें इन भाषाओं को पढ़ाया जा रहा है। कॉलम 3 में सभी कक्षाओं में भाषा को पढ़ने वाले छात्रों की संख्या दी जाये। एक पंक्ति में केवल एक भाषा का विवरण दिया जाना चाहिए।
- 1-31 Does the school offer any pre-vocational course(s) at Upper-Primary stage?/क्या स्कूल में Upper Primary स्तर (कक्षा 6 व 8) पर कोई Pre-Vocational Course की पढ़ाई करवाई जाती है। हाँ=1, नहीं=2**
- पूर्व व्यावसायिक कोर्स: पूर्व व्यावसायिक या पूर्व तकनीकी शिक्षा कार्यक्रम व्यावसायिक कोर्स में कक्षा 6 से 8 के छात्रों को काम की दुनिया से परिचित कराने और आगे के व्यावसायिक या तकनीकी शिक्षा कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए तैयार करने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना।
- 1-32 Does the school provide educational and vocational guidance/counselling to students:** क्या स्कूल क्षमता की खोज व विकास के लिये बच्चों को शैक्षिक व व्यवसायिक मार्गदर्शन और परामर्श (guidance & counseling) प्रदान करता है। हाँ=1, नहीं=2।
- 1-33 Distance of the school (in km.) from the nearest Govt./Govt.Aided School (विद्यालय की राजकीय विद्यालय/राजकीय सहायता प्राप्त निजी स्कूल से दूरी ( कि.मी. में):** केवल राजकीय/राजकीय सहायता प्राप्त निजी स्कूल भरें। स्कूल को सभी बिंदुओं यानी को a, b, c और d भरना चाहिए। स्कूल के रस्ते में सभी प्राकृतिक और मानव निर्मित बाधाओं जैसे राजमार्ग, ट्रेन लाइनों आदि की छूट के बाद दूरी को पैदल दूरी के रूप में परिभाषित किया गया है।
- (a) **From Primary School having classes 1-5:** निकटतम राजकीय/राजकीय सहायता प्राप्त निजी स्कूल से दूरी भरें, जिसमें कक्षा 1 से 5 है। निकटतम विद्यालय का अर्थ किसी अन्य स्कूल से है जिसका UDISE कोड आपके स्कूल से अलग है। यदि कोई Govt. Primary School एक ही परिसर में मौजूद है तो इसे अलग स्कूल माना जाएगा क्योंकि सभी Govt. Primary Schools के अलग अलग UDISE कोड होते हैं।
  - (b) **From Upper Primary School having classes 6-8:** निकटतम राजकीय/राजकीय सहायता प्राप्त निजी स्कूल से दूरी भरें, जिसमें भी कक्षा 6 से 8 है। निकटतम विद्यालय का अर्थ किसी अन्य स्कूल से है जिसका UDISE कोड आपके स्कूल से अलग है।
  - (c) **From Secondary School having classes 9-10:** निकटतम राजकीय/राजकीय सहायता प्राप्त निजी स्कूल से दूरी भरें, जिसमें भी कक्षा 9 से 10 है। निकटतम विद्यालय का अर्थ किसी अन्य स्कूल से है जिसका UDISE कोड आपके स्कूल से अलग है।
  - (d) **From Higher Secondary School having classes 11-12:** निकटतम राजकीय/राजकीय सहायता प्राप्त निजी स्कूल से दूरी भरें, जिसमें भी कक्षा 11 से 12 है। निकटतम विद्यालय का अर्थ किसी अन्य स्कूल से है जिसका UDISE कोड आपके स्कूल से अलग है।
- Note:-** यदि 1st निकटतम विद्यालय में कक्षा 6-12 है तो (b), (c) और (d) समान होंगे। यदि 1st निकटतम विद्यालय में कक्षा 6-10 हैं तो (b) और (c) समान होंगे लेकिन (d) दूसरे निकटतम विद्यालय जिसमें 6-12 या 9-12 कक्षाएँ हैं, दूरी के अनुसार भिन्न होगा। यदि 1st निकटतम विद्यालय में कक्षा 6-8 और दूसरे निकटतम विद्यालय में 6-12 या 9-12 कक्षाएँ हैं तो (c) और (d) समान होंगे लेकिन (b) 1st निकटतम विद्यालय की दूरी के अनुसार भिन्न होगा। यदि 1st निकटतम विद्यालय में कक्षा 6-8, दूसरे निकटतम स्कूल में कक्षा 6-10 या 9 से 10 हैं और तीसरे निकटतम स्कूल में कक्षा 6-12 या 9-12 तक की कक्षाएँ हैं, तो (b) 1st निकटतम विद्यालय, (c) दूसरे निकटतम विद्यालय और (d) तीसरे निकटतम विद्यालय की दूरी के अनुसार भिन्न-2 होंगे। सभी GPS का UDISE कोड अलग है और एक ही परिसर में मौजूद होने पर भी इसे अलग स्कूल माना जाएगा। लेकिन (a) में भरे गए GPS की दूरी किसी भी GMS, GHS या GSST के बराबर हो सकती है, यदि GPS एक ही परिसर में मौजूद है।
- "दूरी" को "स्कूल के रस्ते में सभी प्राकृतिक और मानव निर्मित बाधाओं जैसे राजमार्ग, रेलवे लाइन आदि को हटाने के बाद पैदल दूरी" के रूप में परिभाषित किया गया है।

- 1-34 Whether school is approachable by all-weather roads?/क्या विद्यालय की सड़क /मार्ग सभी मौसम में आने जाने के लिए उपयुक्त हैं: यदि हाँ तो विकल्प 1 भरें और यदि नहीं तो विकल्प 2 भरें।**
- 1-35 Number of instructional days (previous academic year)/गत सत्र (2020-21) में विद्यालय लगाने के कुल दिवसों की संख्या: विद्यालय में (प्राथमिक, मिडिल, सैकेण्ड्री व सीनियर सैकेण्ड्री) जिस भी स्तर की कक्षाएं लग रही हों उन सभी स्तरों का विद्यालय लगाने के कुल दिवसों की संख्या अलग—अलग भरें। स्कूल द्वारा प्राथमिक (कक्षा 1 से 5), मिडिल (कक्षा 6 से 8), सैकेण्ड्री (कक्षा 9 से 10) व सीनियर सैकेण्ड्री (कक्षा 11 से 12) कक्षाएं कितने-कितने दिन लगी हैं अलग अलग भरें। दिनों कि संख्या समान हो सकती और अलग—अलग भी। इसी प्रकार अन्य विद्यालय भरें।**
- 1-36 Average school hours for children (per day)/ वर्तमान सत्र (2021-22) में बच्चों के लिए प्रतिदिन विद्यालय का समय कितने घंटे निर्धारित है: विद्यालय में (प्राथमिक, मिडिल, सैकेण्ड्री व सीनियर सैकेण्ड्री) जिस भी स्तर की कक्षाएं लग रही हों उन सभी स्तरों का विद्यालय में बच्चों के लिए प्रतिदिन विद्यालय का समय कितने घंटे निर्धारित है (उदाहरण के लिए 6 घंटे 30 मिनट के लिए 6.30 लिखें)। उसकी संख्या अलग—अलग भरें। स्कूल द्वारा प्राथमिक (कक्षा 1 से 5), मिडिल (कक्षा 6 से 8), सैकेण्ड्री (कक्षा 9 से 10) व सीनियर सैकेण्ड्री (कक्षा 11 से 12) कक्षाओं के लिए कितने—कितने घंटे समय निर्धारित हैं अलग—अलग भरें। घंटों कि संख्या समान हो सकती और अलग—अलग भी। इसी प्रकार अन्य विद्यालय भरें।**
- 1-37 Average working hours for Teachers (per day)/वर्तमान सत्र (2021-22) में शिक्षकों के लिए प्रतिदिन विद्यालय का समय कितने घंटे निर्धारित है: विद्यालय में (प्राथमिक, मिडिल, सैकेण्ड्री व सीनियर सैकेण्ड्री) जिस भी स्तर की कक्षाएं लग रही हों उन सभी स्तरों का विद्यालय में शिक्षकों का पढ़ाने के लिए प्रतिदिन विद्यालय का समय कितने घंटे निर्धारित है (उदाहरण के लिए 6 घंटे 30 मिनट के लिए 6.30 लिखें)। उसकी संख्या अलग—अलग भरें। बिन्दु 1. 38 की तरह भरें।**
- 1-38 Is CCE being implemented in school?/क्या विद्यालय में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन (CCE) लागू किया गया है। CCE स्कूल के किस स्तर के लिए कार्यान्वित की जा रही है, कृपया तदनुसार विकल्प हाँ=1 या नहीं=2 भरें।**
- अगर लागू किया गया है तो क्या बच्चों का संचयी रिकॉर्ड (Cumulative Record) बनाया है। हाँ के लिए 1 और नहीं के लिए 2 विकल्प भरें। क्या बच्चों के संचयी रिकॉर्ड को बच्चों के अभिभावकों के साथ साझा किया गया। हाँ के लिए 1 और नहीं के लिए 2 विकल्प भरें।
  - मूल्यांकन आइटम किसके द्वारा तैयार किए जा रहे हैं? सही कोड भरें।
- 1-39 When does the academic session start? Give the month/विद्यालय का वर्तमान शैक्षणिक सत्र किस माह प्रारंभ हुआ?: माह की कम संख्या (अप्रैल माह के लिए 04 लिखें)।**
- 1-40 For Private Unaided Schools (प्राइवेट असहायता प्राप्त स्कूलों के लिए): निजी स्कूलों से अनुरोध है कि वे नीचे (क), (ख) और (ग) के लिए आरटीई अधिनियम की धारा 12/हरियाणा शिक्षा नियमावली 2003 की धारा 134 (ए) के अनुसार ढेला भरें :**
- (क) वर्तमान शैक्षिक वर्ष (2021-22) में आरटीई. अधिनियम की धारा 12/हरियाणा शिक्षा नियमावली की धारा 134 (ए) के तहत प्रवेश स्तर पर नामांकित विद्यार्थियों की संख्या दी जानी है।
- (ख) गत-वर्षों में आरटीई. अधिनियम की धारा 12/हरियाणा शिक्षा नियमावली की धारा 134 (ए) के तहत निरन्तर प्रवेश पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या जो अभी भी स्कूल में पढ़ रहे हैं उनकी कुल संख्या दी जानी है।
- (ग) आरटीई. अधिनियम की धारा 12/हरियाणा शिक्षा नियमावली की धारा 134 (ए) के तहत नामांकित विद्यार्थियों की कुल संख्या (आरटीई. अधिनियम के अनुसार 25 प्रति शत कोटा) कक्षा वार दी जानी है।
- (घ) स्कूल में नामांकित आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (EWS) के विद्यार्थियों की संख्या कक्षा वार दी जानी है। जैसा कि आरटीई. अधिनियम की धारा 2 (ई) में परिभाषित है अर्थात् ऐसे माता-पिता या अभिभावक से संबंधित जिनकी वार्षिक आय उपयुक्त सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट चूनतम सीमा से कम है। केवल वे स्कूल विवरण प्रदान करेंगे जिन्होंने रियायती दर तहत पर भूमि, भवन, उपकरण या अन्य सुविधाएं प्राप्त की हैं
- प्रश्न संख्या 1.41 से 1.53 तक केवल सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए है।**
- 1-41 Whether Anganwadi Centre is located inside school premises?/विद्यालय के प्रांगण में या चारदीवारी के साथ स्थापित आंगनबाड़ी: राज्य में महिला तथा शिशु विकास विभाग द्वारा संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्रदान की जाती है। यदि आंगनबाड़ी केन्द्र विद्यालय परिसर या विद्यालय की चारदीवारी के अन्दर लगते हैं तो हाँ =1 भरें और यदि नहीं तो विकल्प 2 भरें। तालिका में विद्यालय परिसर के अन्दर जितनी भी आंगनबाड़ी हैं सबका निम्न विवरण दिया जायेगा।**
- क्रमांक संख्या
  - आंगनबाड़ी केंद्र का
  - कोड/नाम लड़के लड़कियाँ
  - क्या आंगनबाड़ी कार्य कर्ता बाल शिक्षा में प्रशिक्षित है? (1-हाँ, 2-नहीं)
  - क्या आंगनबाड़ी में पर्याप्त शैक्षिक खिलौने/कठपुतली/खेल/बोर्ड गेम आदि हैं? (1-हाँ, 2- नहीं)

- 1-42** NEP 2020 के अनुसार यह अनुशंसा की जाती है कि 5 वर्ष की आयु से पहले प्रत्येक बच्चा एक प्रारंभिक कक्षा या बाल वाटिका यानी कक्षा 1 से पहले संज्ञानात्मक, प्रभावशाली, साइकोमोटर क्षमताओं, प्रारंभिक साक्षरता और संख्यात्मकता को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करेगा। सह स्थित अंगनबाड़ी/विद्यालय में अब तक बाल वाटिका प्रारम्भ की गई है या नहीं, इसका जवाब हाँ=1, या नहीं=2 में देना है।
- 1-43 Whether any Out of School Children enrolled in the school are attending Special Training?/ क्या स्कूल में नामांकित कोई भी स्कूली बच्चे विशेष प्रशिक्षण में भाग ले रहे हैं ?: RTE के तहत आयु के अनुसार कक्षा में सीधे प्रवेश लेने वाले बच्चों को उस कक्षा के स्तर तक लाने के लिए विशेष प्रशिक्षण (Special Training/Bridge Course) दिये जाने का प्रावधान है। यदि इस तरह का प्रशिक्षण बच्चों को दिया गया हो तो विवरण भरें।**
- वर्तमान सत्र 2021–22 में विशेष प्रशिक्षण हेतु नामांकित बच्चों की संख्या भरें।
  - गत सत्र 2020–21 में विशेष प्रशिक्षण हेतु नामांकित बच्चों की संख्या भरें।
  - गत सत्र 2020–21 में विशेष प्रशिक्षण पूर्ण करने वाले बच्चों की संख्या भरें।
  - विशेष प्रशिक्षण किसके द्वारा दिया जा रहा है? (विद्यालय के शिक्षकों द्वारा=1, विशेष प्रशिक्षक द्वारा=2, दोनों प्रकार (कोड कमांक 1 एवं 2)=3, अराजकीय संस्था (NGO) द्वारा=4, अन्य=5)
  - विशेष प्रशिक्षण कहाँ दिया जा रहा है? (विद्यालय के परिसर में=1, विद्यालय परिसर से बाहर=2, दोनों प्रकार से = 3
  - विशेष प्रशिक्षण किस प्रकार का है? (आवासीय=1, गैर आवासीय=2, दोनों प्रकार से=3 (कोड 1 एवं 2))
- 1-44 No. of students attending Remedial Teaching in current year/वर्तमान वर्ष में निदारात्मक शिक्षा (Remedial Teaching) ले रहे विद्यार्थियों की संख्या:** निदारात्मक शिक्षण धीमी गति के शिक्षार्थियों की पहचान करना और उनकी कठिनाई के सभी क्षेत्रों की पहचान करने के बाद उनकी समस्याओं को दूर करने में मदद करने के लिए आवश्यक सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करना है।
- 1-45 No. of students attending Learning Enhancement Classes/ सीखने में वृद्धि के लिए कक्षाओं में भाग ले रहे विद्यार्थियों की संख्या:** एल.ई.पी. (Learning Enhancement Programme) का मुख्य उद्देश्य सीखने के अंतराल की पहचान करना और छात्रों को विशेष ग्रेड के लिए उपयुक्त मूल सीखने की पूर्वपिक्षाओं से सुसज्जित करना है। सीखने में वृद्धि के लिए कक्षाओं में भाग ले रहे विद्यार्थियों की संख्या यहाँ दी जानी चाहिए।
- 1-46 Details of visits to the school during the previous academic year/पिछले शैक्षणिक वर्ष के दौरान स्कूल की यात्राओं का विवरण:** गत वर्ष 2020–21 (गत शैक्षिक वर्ष 1 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2021 की स्थिति में) की विद्यालय से सम्बन्धित निम्न सूचनायें दें।
- No. of academic inspections/शैक्षिक निरीक्षणों की संख्या :** इस प्रयोजन हेतु विगत शैक्षिक सत्र में विद्यालयों के निरीक्षण के लिए अधिकृत राज्य सरकार के अधिकारी द्वारा किये गये निरीक्षणों की संख्या भरें।
  - No. of visits by CRC Coordinator/क्लस्टर हेड द्वारा किये गए दौरों की संख्या :** विगत शैक्षिक सत्र के दौरान CRC Head द्वारा अकादमिक सहयोग प्रदान करने और अन्य प्रयोजनों से विद्यालय अवलोकन की संख्या भरें। केवल CRC समन्वयक के दौरे भरे जाएंगे। ABRC के दौरे इस बिंदु के अंतर्गत शामिल नहीं होंगे।
  - No. of visits by Block Level Officers (BRC-cum-BEEO/BEO)/खण्ड स्तर के अधिकारियों द्वारा किये गये दौरों की संख्या:** पिछले शैक्षिक सत्र के दौरान ब्लॉक संसाधन केन्द्र समन्वयकों के अकादमिक सहायता प्रदान करने और अन्य उद्देश्यों से विद्यालय अवलोकन की संख्या भरें। केवल BRC-cum-BEEO and BEO के दौरे भरे जाएंगे। BRP के दौरे इस बिंदु के अंतर्गत शामिल नहीं होंगे।
  - No of visits by District/State Level Officers/राज्य/जिला स्तर के अधिकारियों द्वारा किये गये दौरों की संख्या:** पिछले शैक्षिक सत्र के दौरान जिला स्तर या राज्य स्तर के अधिकारीयों द्वारा अकादमिक सहायता प्रदान करने और अन्य उद्देश्यों से किए गये कुल विद्यालय अवलोकनों की संख्या भरें।
- जेएनवी (JNV) / केवी (KV) / अन्य केंद्र सरकार के स्कूलों के लिए:**
- No. of visits by CRC Coordinator/क्लस्टर हेड द्वारा किये गए दौरों की संख्या :** विगत शैक्षिक सत्र के दौरान CRC Head द्वारा अकादमिक सहयोग प्रदान करने और अन्य प्रयोजनों से विद्यालय अवलोकन की संख्या भरें।
  - No. of visits by Regional level officers/क्षेत्रीय स्तर के अधिकारियों द्वारा किये गये दौरों की संख्या :** पिछले शैक्षिक सत्र के दौरान क्षेत्रीय स्तर के अधिकारियों द्वारा अकादमिक सहायता प्रदान करने और अन्य उद्देश्यों से विद्यालय अवलोकन की संख्या भरें।
  - No of visits by Head Quarter level officers/मुख्यालय स्तर के अधिकारियों द्वारा किये गये दौरों की संख्या:** पिछले शैक्षिक सत्र के दौरान जिला स्तर या राज्य स्तर के अधिकारीयों द्वारा अकादमिक सहायता प्रदान करने और अन्य उद्देश्यों से किए गये कुल विद्यालय अवलोकनों की संख्या भरें।
- 1-47 (क) क्या आर.टी.ई. (RTE) मानदंडों के अनुसार स्कूल प्रबंधन समिति (SMC) का गठन किया गया है? शिक्षा विभाग हरियाणा के सभी सभी सरकारी स्कूलों में एस. एम.सी. का गठन हो रखा है इसलिये हाँ=1 भरें, यदि किसी कारण से नहीं हुआ हो तो नहीं=2 भरें।**

- (ख) शिक्षा विभाग के सभी स्कूलों में SMC व SMDC दोनों एक ही समिति है, इसलिये कोड 3 का प्रयोग करें। अगर किसी स्कूल में विकास एवं प्रबंधन समिति (SMDC) का गठन अलग से किया गया है तो कोड 1 भरें। और यदि SMDC है ही नहीं तो कोड 2 भरें।
- (ग) यदि बिंदु क व ख में से कोई एक या दोनों में हाँ भरा हैं तो SMC /SMDC की वर्ष में हुई कुल बैठकों की संख्या भरें।
- (घ) यदि बिंदु क व ख में से कोई एक या दोनों में हाँ भरा हैं तो बताया जाये कि क्या SMC/SMDC ने स्कूल विकास योजना तैयार की है और यदि की है तो उसका साल भी बताया जाये।
- 1-48** (क) यदि स्कूल निर्माण समिति (SBC) का गठन किया गया है तो हाँ=1 अन्यथा नहीं=2 भरें।
- (ख) यदि स्कूल शैक्षणिक समिति (Academic Committee) का गठन किया गया है तो हाँ=1 अन्यथा नहीं=2 भरें।
- (ग) यदि स्कूल ने अपने अभिभावक-अध्यापक संस्था (PTA) का गठन किया गया है तो हाँ=1 अन्यथा नहीं=2 भरें। यदि हाँ=1, तो, गत-शैक्षणिक वर्ष (2020-21) में आयोजित अभिभावक-अध्यापक संस्था (PTA) की बैठकों की संख्या भरें।
- 1-49** क्या स्कूल में बहु-कक्षा कक्ष हैं? यदि 1-हाँ, एक ही कक्ष में लगने वाली कक्षाओं व एक साथ पढ़ाए जाने वाले बच्चों की संख्या भरी जाएगी। बहु-कक्षा कक्ष से अभिप्राय ऐसे कक्ष से है जिसमें कक्षा-कक्ष, शिक्षक या अन्य किसी कारण से एक ही कक्ष में एक से अधिक कक्षाओं को पढ़ाया जा रहा हो तो वह बहु-कक्षा कक्ष कहलाती है। आप अल्पविराम से अलग की गई कक्षाओं का विवरण और इन बहु-कक्षा इकाइयों में पढ़ने वाले कुल छात्रों की संख्या प्रदान करेंगे।
- 1-50** प्राथमिक विद्यालयों, उच्च विद्यालयों, एक प्रशिक्षण विद्यालय, एक तकनीकी विद्यालय आदि के समूह को एक साथ लेकर विद्यालय परिसर का आयोजन किया जाता है। ये संस्थान अपने शैक्षिक मानकों के सुधार के लिए सहकारी रूप से कार्य करते हैं। आप NEP 2020 के अनुसार स्कूल परिसर (School Complex) के बारे में विस्तार से [https://ncert.nic.in/pdf/shikshak-parv/NEP\\_Effective\\_GovernanceProfAKSrivastava.pdf](https://ncert.nic.in/pdf/shikshak-parv/NEP_Effective_GovernanceProfAKSrivastava.pdf) पर पढ़ सकते हैं। क्या स्कूल किसी स्कूल परिसर (School Complex) का भाग है ? हाँ=1 या नहीं =2 में जवाब दें।
- 1-51** प्रत्येक स्कूल परिसर में कई हब स्कूल होते हैं जो उनके शैक्षिक मानकों के सुधार के लिए सहकारी रूप से कार्य करते हैं। क्या स्कूल, स्कूल परिसर (School Complex) के लिए एक हब स्कूल है? हाँ=1 या नहीं =2 में जवाब दें। यदि जवाब हाँ है तो स्कूल परिसर (School Complex) के सभी स्कूलों का श्रेणी वर विवरण दें।
- 1-52** निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों, शिक्षण अधिगम सामग्री (TLM), खेल सामग्री [वर्तमान शैक्षणिक वर्ष (2021-22) में] और ग्रेडेड पूरक सामग्री (गत-शैक्षणिक वर्ष [2020-21] के लिए की उपलब्धता का श्रेणी वर सभी बिन्दुओं 1.52.1 से 1.52.8 तक विवरण दें।  
पूरक एक अंतर को भरने के लिए कुछ अतिरिक्त है। पूरक किसी चीज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा या सिर्फ अतिरिक्त मदद हो सकते हैं। यहाँ हम ग्रेडवार पूरक सामग्री प्राप्त करने के बारे में पूछ रहे हैं जिसमें पिछले शैक्षणिक वर्ष के लिए पुस्तकालय की किताबें, बरखा श्रृंखला की किताबें और एनबीटी किताबें आदि शामिल हो सकती हैं।
- 1-53** शिक्षण, सीखने (वर्तमान शैक्षणिक वर्ष (2021-22) में), सामग्री आदि पर प्रमुख प्रदर्शन संकेतक (KPI) का कक्षा वार सभी बिन्दुओं 1.53.1 से 1.53.7 तक विवरण दें। शिक्षण, सीखने और अन्य सामग्रियों से संबंधित विभिन्न प्रकार के KPI पर कुल 7 प्रश्न जो अब तक उठाए गए कदमों के लिए प्रदर्शन और आउटपुट को मापने में मदद करते हैं। प्रत्येक KPI महत्वपूर्ण है और इसे सावधानीपूर्वक भरा जाना चाहिए।

## खंड 2 : भौतिक सुविधाएं, उपकरण, कंप्यूटर और डिजिटल पहल

**Note:-** भौतिक सुविधाओं और उपकरणों के संबंध में UDISE+ DCF के सभी डेटा भौतिक सुविधाओं की वास्तविक स्थिति के आधार पर भरे जाएंगे। उदाहरण के लिए, 2009-10 में एक स्कूल में एक विज्ञान प्रयोगशाला (**Science Lab**) का निर्माण किया गया था, लेकिन वर्तमान में स्कूल इसे कक्षा कक्ष (**Classroom**) के रूप में उपयोग कर रहा है तो इसे UDISE+ DCF भरते समय कक्ष माना जायेगा, विज्ञान प्रयोगशाला (**Science Lab**) नहीं।

## **भाग (क) स्कूलों में भौतिक सुविधाएं और उपकरण**

**UDISE+ DCF** किसी कमरे/शौचालय/अन्य सुविधाओं की आवश्यकता के बारे में नहीं पूछता। स्कूल को केवल उपलब्धता अवसंरचना सुविधाओं की स्थिति भरनी है। उदाहरण के लिए, यदि कोई स्कूल एक कमरे को **HM Room** के रूप में उपयोग कर रहा है तो **HM Room** "हाँ", अन्यथा "नहीं"। आवश्यकता की गणना वास्तविक नामांकन के आधार पर सरकारी मानदंडों के अनुसार की जाएगी।

### **2.1 स्कूल भवन की स्थिति के अनुसार कोड भरें ।**

- (1) **Private (प्राइवेट):** विद्यालय भवन का स्वामित्व किसी एक व्यक्ति या संगठन के पास है । उदाहरण के लिए सहायता प्राप्त प्राइवेट विद्यालय जिसका अपना भवन है।
- (2) **Rented (किराये पर):** सरकारी / प्राइवेट विद्यालय जिसके पास अपना भवन नहीं हैं व भवन के लिए किराये का भुगतान किया जाता है।
- (3) **Government (सरकारी):** शिक्षा के प्रयोजन के लिए प्रयोग किये जाने वाले ऐसे विद्यालय भवन को इस श्रेणी में माना जाएगा जिसका स्वामित्व सरकारी विभाग के पास है ।
- (4) **Government School in rent free building (बिना किराये के भवन में सरकारी विद्यालय):** कुछ सरकारी विद्यालयों के पास अपना भवन नहीं है किन्तु वे समुदाय द्वारा /एक व्यक्ति या संगठन उपलब्ध कराये गये भवन / कमरों में काम करते हैं और उनके लिए कोई किराया नहीं दिया जाता ।
- (5) **No Building/Dilapidated Building (भवनहीन/जीर्ण शीर्ण भवन):** भवनहीन विद्यालय होने पर व जीर्ण शीर्ण अवस्था में भवन होने पर इस कोड का प्रयोग किया जाये
- (7) **Building under Construction (निर्माणाधीन)** वह विद्यालय जिसका पूराभवन निर्माणाधीन हो। एक या दो अतिरिक्त कक्षों के निर्माणाधीन होने पर विद्यालय यह कोड न भरें।
- (10) **School running in other Department Building (अन्य विभाग के भवन में चल रहा स्कूल) :** उदाहरण के लिए यदि स्कूल रेलवे विभाग या पंचायत विभाग के भवन में चल रहा है ।

## 2.2 Type of School Building/स्कूल की इमारत का प्रकार?

कृपया अवस्था के अनुसार बिल्डिंग ब्लॉक की संख्या में भवन की स्थिति भरें।

एक स्कूल की इमारत जमीन से जुड़ी हुई है। भूमि का स्वामी, भवन का भी स्वामी होता है। उदाहरण के लिए: यदि स्कूल "ए" जमीन का मालिक है तो सभी कमरे और बुनियादी सुविधाएं भी स्कूल "ए" की संपत्ति हैं।

क्रमांक संख्या	विवरण	संख्या
(i)	स्कूल में उपलब्ध सक्रिय* बिल्डिंग ब्लॉक्स की कुल संख्या	
	ऊपर उल्लिखित बिल्डिंग ब्लॉक्स की कुल संख्या में से निम्न की संख्या	
	पक्का ब्लॉक	
	आंशिक रूप से पक्का (पक्की दीवार एवं फर्श के साथ भवन, कंकरीट छत नहीं हो)	
	कच्चा भवन	
	तंबू	
(ii)	जीर्ण शीर्ण ** भवन	
(iii)	निर्माणाधीन भवन	

सक्रिय बिल्डिंग ब्लॉक्स = बिल्डिंग ब्लॉक्स वर्तमान में निर्देशात्मक और प्रशासनिक उद्देश्य के लिए उपयोग किए जा रहे हैं तो उनको सक्रिय बिल्डिंग ब्लॉक्स कहा जाता है व (i) में स्थिति अनुसार बांटकर भरे जाये।

जो बिल्डिंग ब्लॉक्स जीर्ण शीर्ण अवस्था में होने के कारण प्रयोग में नहीं हैं उनको (ii) में तथा जो बिल्डिंग ब्लॉक्स अभी बन रहे हैं उनको (iii) में भरा जाये।

**नोट:** - कोई भी स्कूल टेंट में नहीं चल रहा है। इसलिए कृपया इस प्रकार की जानकारी को गलती से भरने से बचें।

**2.3 Type of Boundary Wall/चारदीवारी का प्रकार :** सम्भव विकल्प है : 1=Pucca (पक्की तथा अच्छी दिशा में), 2=Pucca but broken (पक्की लेकिन टूटी हुई), 3=Barbed wire fencing (कांटेदार तार की बाड़), 4=Hedges (बाड़), 5=No boundary wall (कोइ चारदीवारी नहीं), 6=Others (अन्य), 7=Partial (आंशिक), 8=Under Construction (निर्माणाधीन).

विद्यालय में उपरोक्त में से जिस भी प्रकार की चारदीवारी हो उसका उपयुक्त कोड भरें।

**Note:-** सरकारी नियमों के अनुसार नई चारदीवारी की ऊंचाई 6 फीट होनी चाहिए। बाउंड्रीवाल की स्थिति के अनुसार भरा जाना चाहिए। यदि चारदीवारी की ऊंचाई 6 फीट से कम है तो आंशिक चारदीवारी भरी जा सकती है।

**2.4 (क) विद्यालय में उपलब्ध कक्षों का विवरण (पूर्व प्राथमिक कक्ष से बारहवीं कक्ष से बारहवीं कक्ष के लिए)**

### शैक्षणिक कार्यों के लिए प्रयोग किये जाने वाले कक्षा कक्ष:

**(i) शैक्षणिक कार्यों के लिए प्रयोग किये जाने वाले कक्षा कक्षों (Class Rooms) की संख्या:** वे कक्ष जिनमें प्रतिदिन अध्यापन कार्य किया जाता हैं, को स्तर अनुसार पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक में बांटकर भरें तथा जो कक्षा कक्ष वर्तमान में उपयोग में नहीं हो रहे हैं उनको भी अलग से पंक्ति 7 में भरा जायेगा। इससे अगली पंक्ति में कुल कक्षा कक्षों का योग करके भरा जायेगा।

इनमें मुखिया कक्ष, पुस्तकालय, Computer room, प्रयोगशाला, Store, EDUSAT Room, Staff Room आदि की संख्या यहां न भरें।

**(ii) निर्माणाधीन कक्षा कक्षों (Class Rooms) की संख्या:** स्कूल में निर्माणाधीन कक्षा कक्षों (Class Rooms) की संख्या भरें।

**(iii) जीर्ण शीर्ण कक्षा कक्षों (Dilapidated):** यदि स्कूल को लगता है कि जो कक्षा कक्ष जीर्ण शीर्ण (Dilapidated) अवस्था में हैं व इनका शिक्षण कार्यों के लिए उपयोग करना सुरक्षित नहीं है की संख्या भरें।

**(ख) स्थिति/दशा के अनुसार कक्षा कक्षों का ब्लॉक/ No. of classrooms by condition:**

कक्षा—कक्षों की दशा	बिंदू 2.4(क)(i) में भरे शैक्षणिक कार्यों के लिए प्रयोग किये जाने वाले कुल कक्षा कक्षों की स्थिति/दशा के अनुसार संख्या (No. of classrooms by condition)		
	अच्छी स्थिति (Good condition)	मामूली मरम्मत की आवश्यकता (Need Minor Repair)	अधिक मरम्मत की आवश्यकता (Need Major Repair)
Pucca/पक्का			

Partially Pucca/आंशिक पक्का			
Kuchcha/कच्चा			
Tent/तंबू			

**दशा :** राज्य में सभी राजकीय व प्राइवेट विद्यालयों का भवन पक्का है। अतः सभी कुल कक्षा कक्षों की स्थिति पंक्ति पक्का में भरें।

**दशा के आधार पर कक्षा-कक्षों का वर्गीकरण :** कक्षा-कक्षों का निम्नवत् वर्गीकरण किया जाता है:-

**अच्छी दशा (Good condition):** वे कमरे जिसमें किसी मरम्मत की आवश्यकता न हो व अच्छी दशा में भरे हैं।

**लघु मरम्मत योग्य (Minor Repair) :** वे कक्षा जिनमें मुख्यरूप से फर्श, छत या दीवारों में प्लास्टरिंग या टूटे दरवाजे या खिड़कियों को बदलना या मरम्मत की आवश्यकता हो, को यहाँ भरें।

**बड़ी या अधिक मरम्मत योग्य (Major Repair):** बड़ी या अधिक मरम्मत में पुनर्निर्माण या दीवार अथवा छत में ढाँचा गत परिवर्तन समिलित है।

**नोट:** बिंदु न0 2.4 (क) (i) में भरे कुल कक्षा कक्षों का योग व बिंदु 2.4 (ख) में भरे कुल कक्षा कक्षों का योग बराबर रहे।

**(ग) स्कूल में उपलब्ध कक्षा-कक्षों को छोड़कर अन्य कमरों की कुल संख्या (120 वर्ग फुट से छोटे अन्य कक्ष व किचन शेड को छोड़ कर):** इस मद में कक्षा कक्षों व किचन शेड को छोड़कर विद्यालय के अन्य सभी कमरे समिलित किये जाने चाहिए व इनकी संख्या एक साथ जोड़कर भरें। इनमें मुख्याकक्ष, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, Computer Room, Store, EDUSAT Room, Staff Room और अन्य कक्षों को समिलित कीजिए जिनका उपयोग नियमित कक्षा शिक्षण में नहीं किया जाता व 120 वर्ग फुट से बड़े हैं। विद्यालय अन्य कक्षों की संख्या एक साथ जोड़कर भरें।

**Note :-** 2.4 (ग) में प्रदान किए गए कुल अन्य कमरे, बिंदु संख्या 2.19, 2.20 और 2.27 में दिए गए अन्य कमरों के विवरण से कम नहीं हो सकते।

**2.5 क्या स्कूल में शौचालय है ? (हाँ = 1, नहीं = 2)**

#### (क) शौचालयों /मूत्रालयों का विवरण

कम संख्या	शौचालय की स्थिति	केवल लड़कों के लिये		केवल लड़कियों के लिये		कुल शौचालयों की संख्या	
		कुल	कार्यात्मक**	कुल	कार्यात्मक**	कुल	कार्यात्मक**
i)	विद्यालय में उपलब्ध / शौचालयों (टॉयलेट सीट) (CWSN शौचालय को छोड़कर) की संख्या						
ii)	विद्यालय में CWSN के उपयोग करने योग्य शौचालयों (टॉयलेट सीट) की संख्या						
(i+ii)	कुल उपलब्ध / शौचालय ? (CWSN शौचालय सहित)						
iii)	उपलब्ध कुल मूत्रालयों की संख्या (Total Urinals available)						

**\*\*कार्यात्मक शौचालय की परिभाषा:** शौचालयों में उपलब्ध पानी, न्यूनतम गंध (बिना गंध के), अखंड सीट, नियमित रूप से साफ, सूखा, कार्यशील जल निकासी प्रणाली के साथ, उपयोगकर्ताओं के लिए सुलभ, बंद दरवाजा। वे शौचालय जो ठीक हैं व उनका उपयोग लड़कों/लड़कियों द्वारा किया जा रहा है।

**Note:-** स्कूल में केवल लड़के पढ़ रहे हैं तो शौचालय केवल लड़कों के लिए भरें और यदि स्कूल में केवल लड़कियां पढ़ रहीं हैं तो शौचालय केवल लड़कियों के लिए भरें। अगर दोनों पढ़ रहे हैं तो शौचालयों को प्रयोग के आधार पर बांट के भरें। विद्यालयों में शौचालय के समुचित विभाजन उपलब्ध नहीं होने पर विद्यालय के प्रत्येक शौचालय को क्रम संख्या दें। सह.शिक्षा विद्यालयों में, विषम संख्या वाले शौचालय को लड़कों के शौचालय के रूप व सम संख्या शौचालय वाले शौचालय को लड़कियों का शौचालय माना जा सकता है।

(ख) तालिका 2.5(क) में दिए गए कार्यात्मक शौचालयों/मूत्रालयों की कुल संख्या में से कितने शौचालय/मूत्रालयों में फलशिंग और सफाई के लिए बहता पानी (नल) उपलब्ध है, लड़के व लड़कियों के लिए अलग-अलग भरें।

(ग) क्या शौचालय/मूत्रालय ब्लॉक के पास साबुन से हाथ धोने की सुविधा उपलब्ध है? हाँ के लिए 1, नहीं के लिए 2 भरें।

(घ) क्या लड़की के शौचालय में भस्मक (Incinerator) उपलब्ध है? (1-हाँ, 2-नहीं, 3-हाँ, लेकिन कार्यात्मक नहीं)

**2.6 क्या स्कूल परिसर में पीने का पानी उपलब्ध है?:** विद्यालय में पेयजल की सुविधा उपलब्ध है तो कोड 1 भरें अन्यथा कोड 2 भरें।

(क) यदि 1-हाँ तो निम्नलिखित विवरण भरें: प्रायः उपयोग होने वाली पेयजल सुविधा पेयजल के मुख्य स्रोत का उल्लेख कीजिए जिसका विद्यालय में प्रायः उपयोग किया जाता है। कृपया विवरण प्रदान करें कि कौनसे स्रोत निम्नलिखित स्रोतों में से उपलब्ध हैं और यह भी भरें कि स्रोत कार्यात्मक है या नहीं।

संभव विकल्प हैं –(1) Handpumps (हैंडपंप/बोरवेल), (2) Protected Well (संरक्षित कुआँ),

(3) Unprotected Well (असंरक्षित कुआँ), (4) Tap Water (नल का पानी),

(5) Packaged/Bottled Water (पैकेज्ड /बोतलबंद पानी)

(6) Other (अन्य) \_\_\_\_\_ (समर्चिकल या अन्य कोई स्रोत है तो नाम लिखें)

(ख) क्या स्कूल में जल शोधन व्यवस्था Water Purifier/RO की सुविधा है। हाँ के लिए 1, नहीं के लिए 2 व गैर- कार्यात्मक के लिए कोड 3 भरें।

(ग) क्या पेयजल की गुणवत्ता की जांच जल परीक्षण प्रयोगशाला से की जाती है ? हाँ के लिए 1, नहीं के लिए 2 अंकित करें।

**2.7 क्या स्कूल में वर्षा जल संचयन (Rain Water Harvesting) की व्यवस्था है?:** यदि है तो 1-हाँ और यदि नहीं है तो 2-नहीं भरें। लेकिन यदि है और चालू हालत में नहीं है तो 3-हाँ, लेकिन कार्यात्मक नहीं भरें।

**2.8 क्या भोजन से पहले और बाद में हाथ धोने के लिए साबुन से हाथ धोने की सुविधा उपलब्ध है?:** हाँ के लिए 1, नहीं के लिए 2 भरें।

यदि हाँ = 1, तो हाथ धोने की सुविधा के लिए उपलब्ध स्थानों की संख्या भरें।

**2.9 (क) क्या स्कूल में बिजली कनेक्शन उपलब्ध है?:** ऐसे विद्यालय को विद्युत सुविधा से युक्त माना जायेगा, जिसमें बिजली की सुविधा है। यदि बिजली की सुविधा है तो '1' नहीं पर '2' तथा बिजली कनेक्शन क्रियाशील नहीं होने पर '3' अंकित कीजिए।

(ख) क्या स्कूल में सोलर पैनल उपलब्ध है? हाँ के लिए 1, नहीं के लिए 2 भरें तथा सोलर पैनल क्रियाशील नहीं होने पर '3' अंकित कीजिए।

**2.10 (क) क्या स्कूल में पुस्तकालय की सुविधा/बुक बैंक कॉर्नर है?:**

- **Library Facility/पुस्तकालय:** स्कूल में पाठ्य पुस्तकों के अलावा अन्य पुस्तकों बच्चों के पढ़ने के लिये हो तो विद्यालय में पुस्तकालय की सुविधा (Library facility) उपलब्ध है (हाँ = 1) भरें व कुल पुस्तकों की संख्या अंकित कीजिए। यदि विद्यालय में अन्य पुस्तकों बच्चों के पढ़ने के लिये न हो तो नहीं = 2 अंकित कीजिए।

- **Book Bank/पुस्तक बैंक:** विद्यालय में बुक बैंक (स्कूल शैक्षिक वर्ष के अंत में अगली कक्षा में उत्तीर्ण हुए बच्चों की अच्छी स्थिति की पाठ्य पुस्तकों वापस ले कर या स्कूल द्वारा नई पाठ्य पुस्तकों खरीद कर बुक बैंक में रखी जाती हैं ताकि अगले वर्ष अन्य बच्चों द्वारा पुनः उपयोग की जा सकें तो विद्यालय में बुक बैंक की सुविधा है) की उपलब्ध है व कुल पुस्तकों की संख्या अंकित कीजिए। यदि विद्यालय में बुक बैंक की सुविधा न हो तो नहीं = 2 अंकित कीजिए।

- **Reading Corner/रीडिंग कॉर्नर:** स्कूल में किसी भी जगह पर कोने में रीडिंग कॉर्नर स्थापित किया गया हो व उसमें बच्चों के पढ़ने के लिए पुस्तकों रखी हों। यदि रीडिंग कॉर्नर की सुविधा उपलब्ध है (हाँ = 1) भरें अन्यथा

'2' अंकित कीजिए व कुल पाठ्य पुस्तकों की संख्या अंकित कीजिए। यह ध्यान रखा जाए कि रीडिंग कॉर्नर की पुस्तकें पुस्तकालय की पुस्तकों के अलावा हों। ये पुस्तकें पुस्तकालय की कुल पुस्तकों में न जोड़ी गई हों।

(ख) क्या स्कूल में पूर्ण कालिक पुस्तकालयाध्यक्ष है? हाँ=1 नहीं=2 अंकित कीजिए

(ग) क्या स्कूल समाचार पत्रों/पत्रिकाओं की सदस्यता लेता है?: यदि विद्यालय में मैगजीन या अखबार लिया जाता है तो हाँ के लिए 1 नहीं के लिए 2 अंकित करें।

2.11 **क्या स्कूल सुविधाओं के विस्तार के लिए भूमि उपलब्ध है?**: भविष्य में यदि कक्षा कक्षों के निर्माण की आवश्यकता पड़ती है तो क्या विद्यालय परिसर में जमीन या प्रथम/दुसरे तल पर स्थान उपलब्ध होगा। हाँ के लिए 1 भरें व नहीं के लिए 2 भरें।

2.12 **क्या स्कूल में खेल के मैदान (Playground) की सुविधा उपलब्ध है?** हाँ के लिए 1 नहीं के लिए 2 अंकित करें। यदि 2-नहीं, तो क्या स्कूल ने बच्चों के लिए खेल के मैदान/नगरपालि का पार्क आदि में बच्चों के लिए आउटडोर खेल और अन्य शारीरिक गतिविधियों के लिए पर्याप्त व्यवस्था की है। तो हाँ के लिए 1 नहीं के लिए 2 अंकित करें।

2.13 (क) **क्या गत-शैक्षिक वर्ष (2020-21) में छात्रों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया था?**: यदि विद्यालय में पिछले वर्ष 2020-21 में छात्रों का ए.एन.एम. तथा प्रशिक्षित शिक्षकों/डॉक्टरों द्वारा बच्चों के स्वास्थ्य की जांच गत वर्ष की गई हो तो '1' अंकित कीजिए अन्यथा '2' अंकित कीजिए। यदि हाँ तो

- (i) पिछले सत्र के दौरान स्कूल में आयोजित स्वास्थ्य जांच की कुल संख्या बताई जाये।
- (ii) किए गए स्वास्थ्य जांच के मापदंड ऊंचाई, वज़न, आंखें, दंत चिकित्सा, गला जिसकी जांच की गई हो उसके लिये हाँ=1 या नहीं=2 में जवाब दें।

(ख) **बच्चों को दी कृमिनाशक गोली:** यदि विद्यालय में कृमिनाशक गोली की पूर्ण (दो खुराक) दी हैं तो कोड 1, आंशिक (एक खुराक) दी है तो 2 कोड और यदि कोई भी खुराक नहीं दी है तो 3 कोड भरें।

(ग) **डब्ल्यूसीडी के दिशा-निर्देशों के अनुसार बच्चों को दी गई आयरन और फोलि क एसिड की गोलियां:** विद्यालय में महिला एंव बाल विकास विभाग के निर्देशानुसार बच्चों को आयरन और फोलिक एसिड की टेबलेट दी गई तो हाँ के लिए 1 तथा नहीं के लिए 2 भरें।

- (घ) **क्या स्कूल वार्षिक स्वास्थ्य रिपोर्ट रखता है?** हाँ=1 या नहीं=2 में जवाब दें।
- (ङ) **क्या स्कूल में थर्मल स्कैनर उपलब्ध है?** हाँ=1 या नहीं=2 में जवाब दें।
- (च) **क्या प्राथमि क उपचार की सुविधा उपलब्ध है?** हाँ=1 या नहीं=2 में जवाब दें।
- (छ) **क्या जीवन रक्षक/आवश्य क दवाएं उपलब्ध हैं?** हाँ=1 या नहीं=2 में जवाब दें।

2.14 **क्या विकलांग बच्चों के लिए स्कूल की इमारत तक पहुँचने के लिए रैप मौजूद है?** हाँ=1 या नहीं=2 में जवाब दें। यदि 1-हाँ, क्या रैप के लिए हैंड-रेल उपलब्ध हैं? हाँ=1 या नहीं=2 में जवाब दें।

2.15 **क्या स्कूल में विशेष शिक्षक हैं?** यदि स्कूल स्तर पर CWSN बच्चों लिए अलग से विशेष शिक्षक (Special Teacher) है तो कोड 1=समर्पित भरें परन्तु यदि क्लस्टर स्तर पर कई स्कूलों के बच्चों के लिए एक ही विशेष शिक्षक है तो कोड 2 भरें और यदि कोई विशेष शिक्षक स्कूल या क्लस्टर पर नहीं है तो कोड 3 भरें।

2.16 (क) **क्या स्कूल में किचन गार्डन उपलब्ध है?** हाँ=1 या नहीं=2 में जवाब दें। किचन गार्डन से अभिप्राय एक ऐसा बगीचा या क्षेत्र है जहां घरेलू उद्देश्यों के लिए सञ्जियां, फल और जड़ी-बूटियां उगाई जाती हैं। यदि विद्यालयों में ऐसा बगीचा है तो कृपया "हाँ" भरें।

(ख) **क्या स्कूल में किचन शेड उपलब्ध है?** हाँ=1 या नहीं=2 में जवाब दें। किचन शेड से अभिप्राय खाना या मिड डे मील बनाने के लिए कोई कमरा या रसोई होने से है।

2.17 **क्या स्कूल में अपशिष्ट (Waste) एकत्र करने हेतु कूड़ेदान हैं?**

- (क) **प्रत्येक कक्षा कक्ष के लिए कूड़ेदान हैं तो कोड 1-हाँ और सभी, यदि एक भी कक्षा कक्ष के लिए नहीं है तो कोड 2-नहीं और केवल कुछ कक्षों के लिए कूड़ेदान हैं तो कोड 3-हाँ लेकिन कुछ भरें।**
- (ख) **प्रत्येक शौचालय के लिए कूड़ेदान हैं तो कोड 1-हाँ और सभी, यदि एक भी शौचालय के लिए कूड़ेदान नहीं है तो कोड 2-नहीं और केवल कुछ शौचालयों के लिए कूड़ेदान हैं तो कोड 3-हाँ लेकिन कुछ भरें।**
- (ग) **प्रत्येक रसोई के लिए कूड़ेदान है तो कोड 1-हाँ और सभी, यदि रसोई के लिए एक भी कूड़ेदान नहीं है तो कोड 2-नहीं और रसोई के लिए एक भी कूड़ेदान नहीं है तो कोड 3-हाँ लेकिन कुछ भरें।**

2.18 **क्या स्कूल में विद्यार्थियों के लिए फर्नीचर है?** यदि सभी बच्चों के लिए फर्नीचर यानी बेंच हैं तो कोड 1-हाँ सभी के लिए,

यदि केवल कुछ बच्चों के लिए हैं तो कोड 2-आंशिक और यदि फर्नीचर नहीं है तो कोड 3-कोई फर्नीचर उपलब्ध नहीं भरें। यदि सभी या कुछ बच्चों के लिए फर्नीचर है तो विद्यार्थियों की संख्या जिनके लिए फर्नीचर की व्यवस्था है, दी जाएगी।

#### 2.19 क्या स्कूल में निम्नलिखित सुविधाएं हैं? :

क्रमांक संख्या	विवरण	उपलब्ध ता (1-हाँ, 2-नहीं)
(क)	स्कूल के प्रमुख / प्रधान शिक्षक / प्रधानाचार्य के लिए अलग कक्ष ?	
(ख)	पुस्त कालय के लिए अलग कक्ष	
प्रश्न संख्या (ग) से (झ) केवल माध्यमिक और उच्च माध्यमिक वर्गों वाले स्कूलों के लिए हैं		
(ग)	सहायक प्रधान अध्यापक/उप प्रधानाचार्य के लिए अलग कक्ष	
(घ)	बालिकाओं के लिए अलग सामान्य कक्ष	
(ङ)	शिक्षकों के लिए स्टाफ कक्ष	
(च)	सह पाठ्यक्रम गतिविधि कक्ष/कला और शिल्प कक्ष	
(छ)	स्टाफ कार्टर (जिस में प्रधान अध्यापक/प्रधानाचार्य एवं सहायक प्रधान अध्यापक/ उप प्रधानाचार्य के लिए आवासीय कार्टर शामिल हैं)	
(ज)	टिकिरिंग लैब	
(झ)	सेनेटरी पैड वैंडिंग मशीन (सह-शिक्षा और बालिका स्कूलों के लिए)	
प्रश्न संख्या (ज) केवल माध्यमिक अनुभाग वाले स्कूलों के लिए है		
(ज)	एकीकृत विज्ञान प्रयोगशाला? (एकीकृत प्रयोगशाला वह है जिसमें भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान का व्यावहारिक आयोजन किया जाता है)	

2.20 क्या स्कूल में निम्नलिखित प्रयोगशालाएँ हैं? (केवल उच्च माध्यमिक वर्गों के लिए): स्कूल के सीनियर सैकेण्ट्री कक्षाओं (11 व 12 कक्षा) के उपयोग हेतु स्कूल में प्रयोगशाला की वर्तमान स्थिति के साथ उपलब्धता की जानकारी निम्न बिंदुओं पर दे। पूरी तरह से सुसज्जित = 1, आंशिक रूप से सुसज्जित = 2, सुसज्जित नहीं = 3, लैब उपलब्ध नहीं = 4. प्रयोगशाला हेतु अलग से कमरे की उपलब्धता की जानकारी अंतिम कॉलम में भरें तथा हाँ के लिए 1 तथा नहीं के लिए 2 भरें।

क्रमांक संख्या	प्रयोगशालाएँ	वर्तमान स्थिति के साथ उपलब्धता? (1-पूरी तरह से सुसज्जित, 2-आंशिक रूप से सुसज्जित, 3-सुसज्जित नहीं, 4-लैब उपलब्ध नहीं)	अलग कमरा उपलब्ध है? (1-हाँ, 2-नहीं)
(क)	भौतिक विज्ञान		
(ख)	रसायन विज्ञान		
(ग)	जीव विज्ञान		
(घ)	गणित		
(ङ)	भाषा		
(च)	भूगोल		
(छ)	गृह विज्ञान		
(ज)	मनोविज्ञान		

2.21 क्या स्कूल में निम्नलिखित उपकरण हैं: विद्यालय में उपलब्ध यंत्र/उपकरणों की कार्यशील/उपयोगिता की स्थिति की जानकारी दें। यदि उपलब्ध है तो 1 नहीं है तो 2 भरें। यदि उपलब्ध है लेकिन कार्यात्मक नहीं है तो 3 भरें।

क्रमांक संख्या	उपकरण / सुविधा	उपलब्धता (1-हाँ, 2-नहीं, 3-हाँ लेकिन कार्यात्मक नहीं)
(क)	ऑडियो/विजुअल/सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली	
(ख)	विज्ञान किट*	
(ग)	गणित की किट**	
(घ)	बॉयोमीट्रिक उपकरण	

\* विज्ञान किट में सामान्य वस्तु औं, रसायन, कांच के बने पदार्थ, माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रोस्कोप, मल्टी मीटर, रेजिस्ट्रेंस बॉक्स, मिट्री के तेल, बर्नर, बिजली और चुंबकत्व किट, ऑप्टिक्स किट, स्प्रिंग बैलें स आदि की उपलब्धता।

- \*\* गणित की किट में क्यूब्स , वि भिन्न आकृतियों के कटआउट, एक अभिनव जियोबोर्ड, अबेकस, त्रिकोणमितीय सर्कल बोर्ड, पाइथागोरस प्रमेय स्कायर, बीजीय टाइल आदि की उपलब्धता।

## भाग (ख) कंप्यूटर और डिजिटल पहल

- 2.22 **कंप्यूटर या डिजिटल उपकरण की स्थिति:** कृपा करके निचे दी गई तालिका में दिए गए उपकरणों की कुल संख्या व कार्यशील उपकरणों की संख्या भरें।

क्रमांक संख्या	आइटम	उपलब्ध इकाइयों की कुल संख्या	कार्यशील इकाइयों की संख्या (कुल में से)
(क)	डेस्कटॉप/पीसी		
(ख)	लैपटॉप/नोटबुक		
(ग)	टैबलेट		
(घ)	इंटीग्रेटेड टीचिंग लर्निंग डिवाइसेस वाले पीसी		
(ङ)	सामग्री प्रबंधन प्रणाली और समाधान (सीएमएस)/लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के साथ डिजिटल बोर्ड		
(च)	प्रक्षेपक (प्रोजैक्टर)		
(छ)	प्रिंटर		
(ज)	स्कैनर		
(झ)	सर्वर		
(ञ)	वेब कैमेरा		
(ट)	स्मार्ट टीवी		
(ठ)	सामग्री प्रबंधन प्रणालियों के साथ डिजिटल बोर्ड और समाधान (सी. एम. एस.)/लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम		
(ड)	पढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला मोबाइल फोन		
(ढ)	पढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला रेडियो		
(ण)	जेनरेटर/इनवर्टर/पावर बैकअप/बिग यूपीएस		

- 2.23 **क्या स्कूल में इंटरनेट की सुविधा है? हाँ=1 या नहीं=2 में उत्तर दें, अगर हाँ=1 तो स्कूल में उपलब्ध इंटरनेट सुविधा के प्रकार में से कोई प्रकार भरें जो भी आपके स्कूल में है। (1-ब्रॉडबैंड/लीज लाइन, 2-यूएसबी मोडेम/डोंगल/पोर्टेबल हॉटस्पॉट, मॉडेम के साथ 3-टेलीफोन लाइन, 4-मोबाइल फोन इंटरनेट, 5-कोई अन्य प्रकार का कनेक्शन, 6-वीएसएटी)**

- 2.24 **क्या स्कूल में नियमित सुविधाएं हैं? नीचे दिए गए उपकरण/सुविधा की उपलब्धता का 1-हाँ या 2-नहीं में जवाब दें।**

- (क) छात्रों के लिए कंप्यूटर लैब: अगर स्कूल में बच्चों के लिए कंप्यूटर लैब है तो हाँ=1 अन्यथा नहीं=2 भरें।  
 (ख) स्कूल में ई-सामग्री/डिजिटल सामग्री/संसाधनों तक पहुंच: अगर स्कूल में कंप्यूटर, टेबलेट या मोबाइल फोन पर इंटरनेट या अन्य किसी माध्यम से डिजिटल सामग्री जैसे दीक्षा पोर्टल का बच्चों तक पहुंच है तो हाँ=1 अन्यथा नहीं=2 भरें।  
 (घ) CWSN के लिए तकनीक आधारित सहायक समाधान: यदि CWSN के लिए कोई सॉफ्टवेर या कोई भी तकनीक आधारित सुविधा जो उसको पढाई में सहायता करे, उपलब्ध है तो हाँ=1 अन्यथा नहीं=2 भरें।  
 (घ) डीटीएच/टीवी चैनलों तक पहुंच: अगर स्कूल में डीटीएच या टीवी चैनलों तक बच्चों की पहुंच है तो हाँ=1 अन्यथा नहीं=2 भरें।

- 2.25 **क्या स्कूल में डिजिटल लाइब्रेरी है? यदि 1-हाँ, तो उपलब्ध ई-पुस्तकों/ई-सामग्री की संख्या भी बताई जाये।**

- 2.26 **क्या शिक्षण के लिए आईसीटी आधारित उपकरणों का उपयोग किया जा रहा है ? यदि शिक्षक बच्चों को पढ़ाने के लिए आई.सी.टी. आधारित उपकरणों यानि कंप्यूटर व इंटरनेट आदि का प्रयोग कर रहे हैं तो हाँ=1 अन्यथा नहीं=2 भरें। यदि 1-हाँ, खर्च किए गए प्रति सप्ताह घंटों की संख्या यानि एक सप्ताह के एकरेज घंटे जिस दोरान आई.सी.टी. आधारित उपकरणों यानि कंप्यूटर व इंटरनेट आदि का प्रयोग किया गया है, लिखें।**

## प्रश्न संख्या 2.27 केवल सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए है।

2.27 क्या स्कूल में आईसीटी लैब उपलब्ध है? यदि स्कूल में आई. सी. टी. लैब है तो हाँ=1 भरें और अगर नहीं है तो नहीं=2 भरें।

यदि स्कूल में आई. सी. टी. लैब हाँ=1 है तो

- (i) आई. सी. टी. लैब के कार्यान्वयन का वर्ष यानि शुरू होने का वर्ष भरें।
- (ii) आई. सी. टी. लैब वर्तमान में काम कर रही है या नहीं? 1-हाँ या 2-नहीं में जवाब दें।
- (iii) स्कूल में कौन सा मॉडल लागू किया गया है? (1-बूट मॉडल, 2-बू मॉडल, 3-अन्य)

**1-बूट मॉडल/BOO (Build Own Operate):** BOO मॉडल के तहत, सेवा प्रदाता द्वारा निर्मित बुनियादी ढांचे को उनके द्वारा एक विशेष अवधि के लिए संचालित / रखरखाव किया जाता है और समय अवधि पूरी होने के बाद वह उपकरणों को निकाल लेता है।

**2-बू मॉडल/BOOT (Build Own Operate Transfer):** BOOT मॉडल के तहत, सेवा प्रदाता द्वारा निर्मित बुनियादी ढांचा एक विशिष्ट अवधि के लिए उनके द्वारा संचालित / रखरखाव किया जाता है और समय अवधि पूरी होने के बाद उपकरण का स्वामित्व अन्य पार्टी को स्थानांतरित कर दिया जाता है।

स्कूल में आई.सी.टी. प्रशिक्षक का प्रकार: यदि प्रशिक्षक पूर्ण कालिक/फुल टाइम है तो कोड 1 भरें, यदि अंशकालिक/पार्ट टाइम है तो कोड 2 भरें और यदि नहीं है तो कोड 3-उपलब्ध नहीं भरें।

## खंड 3 : शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक कर्मचारी/स्टाफ

3.1 गैर-शैक्षण/प्रशासनि क एवं उपलब्ध सहायक कर्मचारी की संख्या: विद्यालय में कार्यरत गैर शैक्षिक / प्रशासनिक व सहायक स्टाफ की जानकारी बिंदु में दिये गये पदानुसार दें।

### 3.2 मौजूद शिक्षकों की संख्या

क्रमांक संख्या	मौजूद शिक्षण कर्मचारी	शिक्षण कर्मचारियों की कुल संख्या
(क)	शिक्षण कर्मचारी (नियमित शिक्षक)	
(ख)	शैक्षणिक कर्मचारी (गैर-नियमित शिक्षक यानी अनुबंध, अंशकालिक, पैरा शिक्षक आदि )	
	मौजूदा पद पर कुल शिक्षण कर्मचारी/ शिक्षकों की संख्या [(क)+(ख)]	
(ग)	क्या स्कूल में कोई ट्रांसजेंडर शिक्षक है? (1-हाँ / 2-नहीं )	

(प्राथमिक स्कूल / मिडल स्कूल/हाई स्कूल / सीनियर सैकेण्ट्री स्कूल में कार्यरत सभी JBT व मुख्य शिक्षक /अध्यापक, Ele.Head, प्राध्यापक, मुख्याध्यापक व प्राचार्य सहित की संख्या पंक्ति (क) में भरें। कॉन्ट्रैक्ट शिक्षक (Guest), Computer Teacher (ICT), SSA के तहत लगे Part Time Instructor व Re-employment के तहत लगे सभी शिक्षकों की संख्या पंक्ति (ख) में भरें। पंक्ति (क) व पंक्ति (ख) में यदि कोई ट्रांसजेंडर शिक्षक है तो उसे पंक्ति (ग) में हाँ=1 अन्यथा नहीं=2 भरें।

निजी स्कूलों के शिक्षक गैर-नियमित/अनुबंध कर्मचारियों के अधीन ही आएंगे। सरकारी स्कूलों में स्थायी सरकारी शिक्षकों के लिए नियमित शब्द का इस्तेमाल किया गया है।

**Note:-** Vocational Teachers under NSQF की संख्या 3.2 में न भरें। Vocational Teachers का विवरण Table 9.8 में भरें।

### **3.3 Teachers and Instructors (Including Head Teacher) (शिक्षक और अंशकालीन शिक्षक)**

#### **तालिका 3.3 में कोड्स भरते समय ध्यान देने योग्य मुख्य बातें**

- बिन्दु 3.2 में भरे कार्यरत कुल शिक्षकों (Regular, Guest and Part Time Instructor) व मुखिया सहित का विवरण बिन्दु 3.3 में दें।
  - सेवा प्रारंभ करने की तिथि (पंक्ति 8): शिक्षक/मुखिया द्वारा सर्वप्रथम शिक्षा विभाग में शिक्षण कार्य कब शुरू किया वह तिथि भरें।
  - शैक्षिक योग्यता व मुख्य विषय कहाँ तक पड़े हैं (पंक्ति 9 व 16): किसी भी सरकारी शिक्षक की शैक्षणिक योग्यता 10वीं से कम नहीं है, इसलिए कृपया बिंदु 9 के लिए कोड 1 का उपयोग न करें। इसके अलावा, बिंदु 16 में पूछे जाने वाले विषय 10वीं कक्षा तक अनिवार्य हैं और इन बिंदुओं के लिए भी कोड 1 का उपयोग न करें।
  - विषय जिसके अध्यापन हेतु नियुक्ति हुई है (पंक्ति 13): सामाजिक अध्ययन शिक्षक (कोड 8 भरे), हिन्दी शिक्षक (कोड 41 भरे), संस्कृत शिक्षक (कोड 43 भरे), उर्दू शिक्षक (कोड 45 भरे), English शिक्षक (कोड 46 भरे), पंजाबी शिक्षक (कोड 47 भरे)। Agriculture, Marketing & Salesmanship, OSS English, OSS Hindi, Public Administration तथा Sociology शिक्षक (कोड 99 भरे), DPE & PTI (कोड 5 भरे), Commerce शिक्षक (कोड 12 भरे), Drawing शिक्षक (कोड 91 भरे), Physical Education (PGT) शिक्षक (कोड 92 भरे) तथा Cutting & Tailoring शिक्षक (कोड 93 भरे)। अन्य शिक्षकों की नियुक्ति जिस विषय को पढ़ाने के लिए हुई है वे विषय का उचित कोड भरें।
  - किन कक्षाओं को पढ़ाते हैं (पंक्ति 12): (i) राजकीय प्राथमिक स्कूल के शिक्षक कोड-1, मिडल स्कूल के सभी शिक्षक जो कक्षा (6-8) पढ़ाते हैं कोड 2 भरें। यदि शिक्षक दो स्तरों में पढ़ा रहा हो जैसे प्राथमिक (1 से 5) व माध्यमिक (6 से 8) तो कोड 3 भरें, माध्यमिक (कक्षा 6 से 8) व हाई स्कूल (कक्षा 9 से 10) को पढ़ा रहा हो तो कोड 7 भरें, हाई स्कूल (कक्षा 9 से 10) व सीनियर सैकेण्ट्री (कक्षा 11 से 12) को पढ़ा रहा हो तो कोड 8 भरें।
  - मुख्यतःकिन विषयों को पढ़ाते हैं (पंक्ति 14 (a) & (b)): यदि शिक्षक एक साथ दो विषय पढ़ा रहा है तो दोनों विषयों का कोड भरें। जैसे विज्ञान अध्यापक विज्ञान के साथ गणित विषय पढ़ा रहा है तो दोनों विषयों का कोड 7 व 3 भरें। S.S.Master - सामाजिक अध्ययन के साथ अंग्रेजी विषय पढ़ा रहे हैं अतः तो विषयों का कोड 8 व 46 भरें।
  - किसी भी सरकारी शिक्षक की शैक्षणिक योग्यता बिंदु 9 में 10 वीं से कम व बिंदु 21 से 25 में पूछे जाने वाले विषय i.e. गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, भाषा अनुसूची आठवीं और सामाजिक विज्ञान का अध्ययन 10 वीं से कम कक्षा तक किया होने की संभावना बहुत कम है, इसलिए कृपया बिंदु 9, 16(a) से 16(e) के लिए कोड 1 का उपयोग सावधानी से किया जाना चाहिए।
6. **शिक्षक का प्रकार (Type of Teacher):** मुख्याध्यापक=1, प्रभारी-मुख्याध्यापक=2, शिक्षक (Teacher)= 3, अंशकालिक (Part Time Instructor) (कक्षा 6 से 8 के लिये SSA के तहत)=5, प्राचार्य=6, प्रभारी-प्राचार्य=7 व प्राध्यापक=8, मिडल हेड (Middle Head)=10
- मुख्याध्यापक: राजकीय विद्यालयों में कार्यरत मुख्याध्यापक कोड = 1, प्राचार्य कोड = 6 व मिडल हेड के लिए कोड 10 अंकित कीजिए।
  - कार्यवाहक प्राचार्य/मुख्याध्यापक: राजकीय विद्यालयों में यदि प्राचार्य न होने पर कार्यरत प्रभारी—प्राचार्य कोड- 7 व मुख्याध्यापक का पद रिक्त है तो उसके स्थान पर कार्यरत प्रभारी— मुख्याध्यापक अपने नाम के सामने कोड -2 भरें। प्राईवेट स्कूल भी इसी प्रकार भरें।
  - शिक्षक : सभी JBT, Master, C&V, PTI, & DPE कोड 3 भरें व Lecturer/PGT प्राध्यापक कोड – 8 भरें।
  - SSA के तहत लगे अंशकालीन अध्यापक (Part Time Instructor): यदि विद्यालय में अंशकालीन अध्यापक (Part Time Instructor under SSA) SSA के तहत लगे हों तो उसके लिए कोड 5 भरें।

**टिप्पणी:** मुखिया व सभी अध्यापक/प्राध्यापक उपरोक्त मद 1 से 10 के किसी न किसी मद के अन्तर्गत आते हैं। इसलिये वे जिस मद में आते हैं उस मद का सही कोड अध्यापक वर्गीकरण सारणी 3.3 में अंकित करें।

- 12. किन कक्षाओं को पढ़ाते हैं (Classes Taught):** केवल प्राथमिक (कक्षा 1 से 5) = 1, केवल माध्यमिक (कक्षा 6 से 8) = 2, प्राथमिक (कक्षा 1 से 5) व माध्यमिक (कक्षा 6 से 8) = 3, केवल हाई स्कूल (कक्षा 9 से 10) = 5, केवल सीनियर सैकेण्ड्री (कक्षा 11 से 12) = 6, माध्यमिक (कक्षा 6 से 8) व हाई स्कूल (कक्षा 9 से 10) = 7, हाई स्कूल (कक्षा 9 से 10) व सीनियर सैकेण्ड्री (कक्षा 11 से 12 = 8) केवल पूर्व-प्राथमिक (LKG & UKG)= 10, पूर्व-प्राथमिक व प्राथमिक (कक्षा 1 से 5) = 11.

**टिप्पणी –(i)** राजकीय प्राथमिक स्कूल के शिक्षक कोड–1, मिडल स्कूल के सभी शिक्षक जो कक्षा (6–8) पढ़ाते हैं कोड 2 भरें।

- राजकीय हाई स्कूल के सभी अध्यापक व मुखिया कक्षा 6 से 10 पढ़ा रहें हैं सभी अध्यापक माध्यमिक (कक्षा 6 से 8) व हाई स्कूल(कक्षा 9 से 10)=7 कोड भरें। मुख्याध्यापक कोड 7, Middle Head व प्राध्यापक स्थितिनुसार जिन कक्षाओं को पढ़ा रहें हैं उनका उचित कोड भरें।
- राजकीय सीनियर सैकेण्ड्री स्कूल के सभी अध्यापक/प्राध्यापक जो कक्षा 6 से 10 में जिस कक्षा समूह को पढ़ा रहे हैं उसका उचित कोड भरें। Private School के शिक्षक व मुखिया जिन कक्षाओं या कक्षा समूहों को पढ़ा रहें हों, उन कक्षाओं का बिंदु न0 11 में उचित कोड भरें।

- 13. विषय के लिए नियुक्त (Appointed for subject):** सामाजिक अध्ययन शिक्षक (कोड 8 भरें), हिन्दी शिक्षक (कोड 41 भरें), संस्कृत शिक्षक (कोड 43 भरें), उर्दू शिक्षक (कोड 45 भरें), English शिक्षक (कोड 46 भरें), पंजाबी शिक्षक (कोड 47 भरें)। Agriculture, Marketing & Salesmanship, OSS English, OSS Hindi, Public Administration तथा Sociology शिक्षक (कोड 99 भरें), DPE & PTI (कोड 5 भरें), Commerce शिक्षक (कोड 12 भरें), Drawing शिक्षक (कोड 91 भरें), Physical Education (PGT) शिक्षक (कोड 92 भरें) तथा Cutting & Tailoring शिक्षक (कोड 93 भरें)। अन्य शिक्षकों की नियुक्ति जिस विषय को पढ़ानें के लिए हुई है वे विषय का उचित कोड भरें।

**(14(a) & 14(b)) मुख्यतः किन विषयों 1 & 2 को पढ़ाते हैं (Main Subject Taught 1 & 2):**—दिये गये विकल्पों में से पढ़ाये जाने वाले विषय का कोड भरें। यदि शिक्षक एक साथ दो विषय पढ़ा रहा है तो दोनों विषयों का कोड भरें। जैसे विज्ञान अध्यापक विज्ञान के साथ गणित विषय पढ़ा रहा है तो दोनों विषयों का कोड 7 व 3 भरें। S.S.Master- सामाजिक अध्ययन के साथ अंग्रेजी विषय पढ़ा रहें हैं अतः दोनों विषयों का कोड 8 व 46 भरें।

- 16 (d) भाषा (अनुसूची आठवीं के अनुसार) का जिस उच्च श्रेणी तक अध्ययन किया है (Language (as per schedule VIII) studied upto):** कृपया उच्चतम शिक्षा का स्तर बिंदु 9 में दी शैक्षिक (Academic) योग्यताओं में से उचित कोड भरें। भारतीय संविधान की अनुसूची VIII में 22 भाषाएँ सूचीबद्ध हैं, जैसे असमिया, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संताली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू बिंदु संख्या 16(डी) में, उच्च स्तर की शिक्षा जिस तक शिक्षक ने "भारतीय संविधान की अनुसूची VIII" के तहत किसी भी भाषा का अध्ययन किया है। शिक्षक को उपरोक्त 22 भाषाओं में से कोई एक भाषा बतानी चाहिए।

**(21a से 21d) पिछले शैक्षिक वर्ष में प्राप्त सेवारत्त प्रशिक्षण के कुल दिवस (BRC, CRC, DIET & Others):** परिषद व विभाग के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष अध्यापकों को खण्ड स्तर पर प्रशिक्षण दिया जाने का प्रावधान है साथ ही अध्यापक संकुल संसाधन केन्द्र (CRC) पर अध्यापक विस्तारित प्रशिक्षण (ई.टी.टी.) में भी भाग लेते हैं। कुछ अध्यापक इन स्थानों के अतिरिक्त अन्य संस्थान जैसे SCERT आदि में प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। उपरोक्त सभी स्थानों पर पिछले वर्ष कितने—कितने दिन प्रशिक्षण लिया है, दिनों की संख्या उपयुक्त कॉलम में अंकित करें।

- 22 गैर-शैक्षणिक कार्यों पर बिताए गये कार्य दिवसों की संख्या (No. of working days spent on non teaching assignments):** शिक्षक, शिक्षा विभाग तथा अन्य विभागों के सरकारी कार्य (गैर शैक्षणिक) को सम्पन्न करने के लिए गैर-शैक्षणिक दायित्वों के निर्वहन हेतु कार्य करते हैं। इनमें से कुछ कार्य ऐसे कार्य दिवसों के समय सम्पन्न किये जाते हैं, जब विद्यालय खुला होता है। पिछले शैक्षिक सत्र के

दौरान गैर-शैक्षणिक सरकारी कार्य पर व्यतीत किये गये दिवसों की संख्या का उल्लेख कीजिए। कृप्या सेवात्त प्रशिक्षण (In Service Training), Exam Duty, Marking Duty, Monthly Meeting जिनमें अध्यापक ने भाग लिया हो, के दिवसों की संख्या को इसमें सम्मिलित न कीजिए। गैर-शैक्षणिक कार्यों में व्यतीत किये गये दिवसों के दौरान अवकाश आते हैं उन दिनों को घटा दिया जाना चाहिए।

**नोट:** 1 से 39 तक सभी बिन्दुओं को ध्यान से पढ़कर भरें और कुछ बिंदु ऑप्शनल हैं जिनको भरना अनिवार्य नहीं है उनके साथ Optional लिखा गया है।

## खंड 4: नया प्रवेश, नामांकन और पुनरावर्तक

- 4.1 क्या स्कूल में कोई ट्रांसजेंडर छात्र है? किसी भी कक्षा में अगर कोई एक भी ट्रांसजेंडर छात्र है तो हां-1 अन्यथा नहीं-2 भरें।  
 4.1.1 पूर्व प्राथमिक कक्षाओं (नर्सरी/प्री-स्कूल, एल.के.जी. व यू.के.जी./के.जी./प्री-प्राइमरी) वर्ष 2021–22 में कुल नामांकन की जानकारी दी जानी है।

**NOTE:** - In case there are only 2(TWO) Grades for Pre-Primary Classes (For Example Nursery/PreSchool and Pre-Primary/KG) then put Enrolment accordingly and keep LKG column values 0 (ZERO) (यदि प्री-प्राइमरी कक्षाओं के लिए केवल 2 (दो) ग्रेड हैं (उदाहरण के लिए नर्सरी/प्री-स्कूल और प्री-प्राइमरी/के.जी.) तो तदनुसार नामांकन करें और एल.के.जी. कॉलम मान 0 (शून्य) रखें।)

In case there are only 1(ONE) Grade for Pre-Primary Class (For Example Pre-Primary/KG) then put Enrolment accordingly and keep Nursery /Pre-School and LKG column values 0 (ZERO) (यदि प्री-प्राइमरी क्लास (उदाहरण के लिए प्री-प्राइमरी/के.जी.) के लिए केवल 1 (एक) ग्रेड है। तो डाल दें तदनुसार नामांकन करें और नर्सरी / प्री-स्कूल और एलकेजी कॉलम मान 0 (शून्य) रखें।)

- 4.1.2 कक्षा 1<sup>st</sup> में नवप्रवेशी बच्चों की जानकारी (वर्ष 2021–22): सारणी में कक्षा प्रथम में वर्ष 2021–22 में, नये दाखिला लेने वाले बच्चों की ही जानकारी दी जानी है जिन बच्चों ने वर्ष 2020-21 में कक्षा प्रथम में दाखिला लिया व किसी कारण से वर्ष 2021-22 में भी कक्षा प्रथम में ही पढ़ रहे हैं रिपीटर्स हैं उन बच्चों की जानकारी यहां न दी जाये।

**आयु:** कक्षा प्रथम में केवल नये दाखिला लेने वाले बच्चों की पूर्ण आयु की गणना 01.04.2021 के आधार पर सारणी 4.3 में बताये अनुसार करें।

अंतिम 3 कॉलम में उन बच्चों की संख्या भरें जिनको कक्षा 1 में प्रवेश लेने से पहले गत वर्ष पूर्व प्राथमिक जैसे नर्सरी / यू०के०जी / आंगनवाड़ी / ECCE Centre में पढ़ रहे थे।

- कक्षा प्रथम के कुल बच्चों में से उन बच्चों की संख्या जो गत वर्ष इसी विद्यालय की पूर्व प्राथमिक (नर्सरी / यू०के०जी) कक्षा में पढ़ते थे।
- कक्षा प्रथम के कुल बच्चों में से उन बच्चों की संख्या जो गत वर्ष अन्य दूसरे विद्यालय की नर्सरी कक्षा में पढ़ते थे।
- कक्षा प्रथम के कुल बच्चों में से उन बच्चों की संख्या जो गत वर्ष आंगनवाड़ी केन्द्र में कहीं भी पढ़ते थे।
- यदि सभी प्रथम कक्षा के बच्चों को पूर्व प्राथमिक जैसे नर्सरी / यू के जी / आंगनवाड़ी में पढ़ने का अनुभव हैं तो तीनों भागों का जोड़ कुल बच्चों के बराबर होना चाहिए। यदि पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ने का अनुभव नहीं हैं तो जोड़ कुल बच्चों के बराबर नहीं होगा।

- 4.2 Enrollment for academic year 2021-22 as on 30<sup>th</sup> September 2021 (by Social Category)  
 शैक्षणिक वर्ष 2021-22 के लिए सामाजिक श्रेणी के अनुसार नामांकन (30 सितंबर 2021 के अनुसार)

- 4.2 (a): 30 सितम्बर, 2021 को उपस्थिति पंजिका (हाजरी रजिस्टर) में अंकित बच्चों की संख्या जिनमें सामान्य, अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग के बच्चे सम्मिलित हैं कि संख्या सारणी में कक्षानुसार उपयुक्त स्थान पर अंकित करें।

**पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का नामांकन:** अगर विद्यालय में पूर्व प्राथमिक है तो नामांकन 4.1.1 में दिए गए नामांकन के बराबर होना चाहिए।

- (A) **सामान्य विद्यार्थी (General):** सामान्य श्रेणी के विद्यार्थी (बालक / बालिका) इस श्रेणी के छात्रों में सम्मिलित हैं।
- (B) **अनुसूचित जाति के छात्र (SC):** शासकीय आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों के छात्र/छात्राओं को इस श्रेणी में सम्मिलित किया गया है।
- (C) **अनुसूचित जनजाति के छात्र (ST):** हरियाणा राज्य में ST के बच्चे नहीं हैं अतः यहाँ कुछ न भरें। केवल सेन्ट्रल गवर्नमेंट के स्कूल में ST बचे हो सकते हैं यदि उनका एडमिशन ST कोटे में हुआ है।
- (D) **पिछड़े वर्गों के छात्र (BC):** शासकीय आदेशों के अनुसार पिछड़े वर्गों के (BC-A & BC-B) छात्र/छात्राओं को इस श्रेणी में सम्मिलित करें।
- (E) **कुल (Total):** उपरोक्त तीनों श्रेणियों A, B, D का योग करके भरें।

#### 4.2 (b): Enrolment of Minority Category (धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय) की जानकारी: उपरोक्त

4.2 (a) में प्रदान किए गए कुल नामांकन में से अल्पसंख्यक श्रेणियों अर्थात् मुस्लिम, ईसाई, सिख, बुद्ध, पारसी, और जैन के लिए नामांकन भरें।

#### 4.2(c): Having Aadhar, BPL and Non-SC BPL: उपरोक्त 4.2 (a) में प्रदान किए गए कुल नामांकन में से, कितने छात्रों का आधार है, कितने छात्र गरीबी रेखा से नीचे हैं व कितने छात्र Non-SC BPL हैं, 4.2 (c) में भरें जाएंगे। BPL से तत्काल नीचे की पंक्ति में Non-SC BPL की संख्या दी जानी है। Non-SC BPL में केवल सामान्य (General) व पिछड़ा वर्ग (BC 'A' + BC 'B') के BPL बच्चों की संख्या दी जानी है। यहाँ पर अनुसूचित जाति (SC) के BPL बच्चों की संख्या नहीं दी जानी है।

**तालिका 4.3 में भरने के लिए आयु की गणना की विधि (आयु की गणना 1 अप्रैल, 2021 को की जाएगी)**

- i) सारणी 4.2 (a) में दिखाए पूर्व प्राथमिक से 12 तक के कुल बच्चों को सारणी 4.3 में आयु वर्ग (Age Group) के अनुसार दिखाया जाना है। अतः सारणी 4.2(a) में कक्षा पूर्व प्राथमिक से 12 तक सभी कक्षाओं का योग सारणी 4.3 में कक्षाओं के योग के बराबर होना चाहिए।
- ii) आयु की गणना Admission withdrawal में अंकित जन्म तिथि को Class Attendance Register में लिखने के बाद 01.04.2021 को छात्रों की उम्र की गणना निम्न सारणी की सहायता से की जानी चाहिए।

1st Jan to 1 <sup>st</sup> April	2 <sup>nd</sup> April to 31 Dec.	Age	पूर्व प्राथमिक	Class I	Class II	Class III	Class IV	Class V	Class VI	Class VII	Class VIII	Class IX	Class X	Class XI	Class XII
'A'	'B'	'C'													
2018	2017	<4													
2017	2016	4													
2016	2015	5													
2015	2014	6													
2014	2013	7													
2013	2012	8													
2012	2011	9													
2011	2010	10													
2010	2009	11													
2009	2008	12													
2008	2007	13													
2007	2006	14													
2006	2005	15													
2005	2004	16													
2004	2003	17													
2003	2002	18													

1st Jan to 1st April	2nd April to 31 Dec.	Age	पूर्व प्राथमिक	Class I	Class II	Class III	Class IV	Class V	Class VI	Class VII	Class VIII	Class IX	Class X	Class XI	Class XII
'A'	'B'	'C'													
2002	2001	19													
2001	2000	20													
2000	1999	21													
1999	1998	22													
1998	1997	>22													
<b>Total</b>															

1<sup>st</sup> अप्रैल 2021 को बच्चे के पूर्ण हुए वर्षों के आधार पर प्रत्येक बच्चे की वर्तमान उम्र की गणना करें। बच्चे का जन्म 1<sup>st</sup> Jan. to 1<sup>st</sup> April या 2nd April to 31 December के मध्य होगा। उदाहरण के लिये बच्चे का जन्म 12.03.2003 है अथवा बच्चे का जन्म 1<sup>st</sup> Jan to 1<sup>st</sup> April के मध्य का है इसलिए बच्चे की आयु पूर्ण वर्ष ज्ञात करने के लिए टेबल के कॉलम 'A' में बच्चे के जन्म का वर्ष 2003 देखें व इसके सामने कॉलम 'C' में 18 वर्ष है। अतः बच्चे की पूर्ण आयु 18 वर्ष है। अगर बच्चे की जन्म तिथि 12.9.2003 है अथवा जन्म 2nd April to 31st December के मध्य का है। यहां आयु पूर्ण वर्ष देखने के लिए कॉलम 'B' में जन्म का वर्ष 2003 के सामने कॉलम 'C' में देखें। इस बच्चे की उम्र पूर्ण वर्ष 17 है। प्रत्येक बच्चे की आयु जन्म तिथि को देखकर ठीक ढंग से गणना करने के पश्चात् ही सारणी में भरें। **Class Attendance Register** में प्रत्येक बच्चे कि आयु पूर्ण वर्ष लिखने के पश्चात् गणना करके **Table 4.3** में कक्षावार बच्चों की संख्या भरें।

टिप्पणी : \*\* 4 - <5 आयु वर्ग का अर्थ है वे बच्चे जिन्होंने 4 वर्ष की आयु पूरी कर ली है और आयु 5 पूरी नहीं की है।

**निर्देश—** 4.3 में अंकित कुल बच्चों की संख्या तालिका 4.2 में अंकित कुल बच्चों के योग के बराबर रहे। बच्चों की आयु की गणना 01-04-2021 के आधार पर की जानी है। यदि बच्चे की आयु 01.04.2021 को 7 वर्ष 11 महीने है तो आयु 7 वर्ष (पूर्ण वर्ष) भरें। आयु की गणना के लिए UDISE+ DCF के पेज 2 पर दी विधि की सहायता लें। बच्चा यदि छायांकित पंक्ति में आ रहा है तो उसे अगली पंक्ति में जोड़ दें।

**4.4 वर्तमान शैक्षिक स्तर में नामांकन (शिक्षण के माध्यम के अनुसार /by medium of instruction):** कृपया

1.29 में उल्लिखित माध्यमों के लिए कक्षावार नामांकन भरें। विद्यालय में शिक्षण का एक माध्यम हो तो सारणी में कुल नामांकन भरें। यदि शिक्षण के माध्यम एक से अधिक हों तो माध्यम के अनुसार छात्र संख्या भरें। कक्षावार छात्र संख्या का जोड़ 4.2(a) में अंकित कुल बच्चों के योग के बराबर रहे।

- निर्देश—i)** हिन्दी व अंग्रेजी माध्यम से किसी भी कक्षा या कक्षा समूह में शिक्षण कार्य किया जा रहा हो तो प्रत्येक माध्यम से पढ़ने वाले बच्चों को कक्षावार संख्या अलग—अलग भरें।
- ii) तालिका 4.4 में अंकित कुल योग छात्र /छात्राओं की संख्या का मिलान तालिका 4.2 (a) में अंकित कुल दर्ज संख्या छात्र /छात्राओं की संख्या से करें।
- iii) यदि विद्यालय में विज्ञान स्ट्रीम है तो अंग्रेजी माध्यम में नामांकन शून्य होने की संभावना बहुत कम है। कृपया इसे ध्यान से भरें।

**4.5 ग्रेड के अनुसार रिपीटर्स (सामाजिक श्रेणी द्वारा)/Repeaters by grade (by Social Category):** उपरोक्त 4.

2 (a) में से रिपीटर्स बच्चों की संख्या सामाजिक श्रेणी व अल्पसंख्यक श्रेणियों के अनुसार रिपीटर्स की संख्या दी जानी है। रिपीटर्स वे छात्र हैं, जिन्होंने में फेल होने या किसी अन्य कारण से 2021-22 में दोबारा उसी कक्षा प्रवेश लिया हो।

#### **4.6 Enrolment by grade for Children with Special Needs (विशेष आवश्यकता वाले बच्चे) 30.9.2021**

**के अनुसार :** इस सारणी में कक्षानुसार विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों की संख्या प्रस्तुत कीजिए जो विभिन्न प्रकार की अक्षमताओं से ग्रस्त हैं। स्कूल खण्ड में कार्यरत Special Teacher की सहायता से CWSN बच्चों की उनकी निःशक्तता के सभी 21 प्रकार के आधार पर पहचान करने के बाद ही सही सूचना सारणी में भरें।

#### **सारणी 4.7 से 4.9 केवल सीनियर सैकेण्ट्री स्कूल के लिए**

#### **4.7 Enrolment and Repeaters by Stream and Social Category wise for year 2021-22**

(सीनियर सैकेण्ट्री कक्षाओं में संकाय—वार नामकंन और रिपीटर्स (वर्ष 2021–22) 30.9.2021 के अनुसार : इस सारणी में 11 व 12 कक्षा में संकाय—वार कला (Arts), वाणिज्य (Commerce), विज्ञान (Science), व्यावसायिक (Vocational) और अन्य संकाय (Other stream) में जातिवार (Social Category) नामकंन और रिपीटर्स की संख्या भरें। कक्षा 11 व 12 के सभी संकाय का जातिवार नामकंन का योग सारणी 4.2(a) में भरे जातिवार नामकंन के योग के बराबर रहे। इसी प्रकार रिपीटर्स का योग सारणी 4.5 (a) के बराबर रहे।

किसी भी राजकीय स्कूल में व्यावसायिक (Vocational) संकाय नहीं चल रही है इसलिए व्यावसायिक (Vocational) संकाय में नामांकन और रिपीटर्स नहीं भरे जायें। एन.एस.क्यू.एफ. (NSQF) के तहत व्यावसायिक शिक्षा (Vocational Education) का विवरण यहां नहीं भरा जाएगा। एन.एस.क्यू.एफ. (NSQF) के तहत व्यावसायिक शिक्षा (Vocational Education) का विवरण Section-9 में केवल उन्हीं सरकारी स्कूलों द्वारा भरा जाएगा जहां इसे लागू किया गया है।

#### **4.8 Enrolment and Repeaters by Academic Stream and Minority at Senior Secondary level in 2021-22 (सीनियर सैकेण्ट्री कक्षाओं में अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों का संकाय—वार नामकंन और रिपीटर्स वर्ष 2021–22):**

इस सारणी में 11 व 12 कक्षा में संकाय—वार कला (Arts), वाणिज्य (Commerce), विज्ञान (Science), व्यावसायिक (Vocational) और अन्य संकाय (Other stream) अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों का नामकंन और रिपीटर्स की संख्या भरें। कक्षा 11 व 12 के सभी संकाय का अल्पसंख्यक समुहों के नामकंन का योग सारणी 4.2(b) की पंक्ति 1 से 6 में भरे अल्पसंख्यक समुहों के नामकंन के योग के बराबर रहे। इसी प्रकार रिपीटर्स का योग सारणी 4.5(b) में भरे अल्पसंख्यक समुहों के रिपीटर्स के योग के बराबर रहे। किसी भी राजकीय स्कूल में व्यावसायिक (Vocational Stream) संकाय नहीं चल रही है।

### **खंड 5: बच्चों को प्रदान किये जाने वाले प्रोत्साहन एवं सुविधाएं (केवल सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए)**

#### **5.1 प्रोत्साहन (गत शैक्षिक वर्ष 2021–22) केवल प्राथमिक कक्षाओं (कक्षा 1 से 5) के लिए।**

प्राथमिक कक्षाओं के अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों, सामान्य श्रेणी तथा मुस्लिम वर्ग व अन्य अल्पसंख्यक समुदाय (मुस्लिम को छोड़कर) के विद्यार्थियों के सम्बन्ध में सूचना की प्रविष्टि की जानी है।

- (1) **निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें :** पिछले शैक्षिक वर्ष में विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराई गई थीं उनकी संख्या यहाँ अंकित की जानी है।
- (2) **निःशुल्क विद्यालय वर्दी :** पिछले शैक्षिक वर्ष में जिन छात्रों को सरकार द्वारा विद्यालय वर्दी दी गई हैं। उनकी संख्या अंकित की जानी चाहिए।
- (3) **निःशुल्क परिवहन सुविधा :** यदि पिछले शैक्षिक वर्ष में जिन छात्रों को सरकार द्वारा स्कूल जाने के लिए विशेष परिवहन सुविधा दी गई हैं। उनकी संख्या अंकित की जानी चाहिए।

- (4) **निःशुल्क एस्कॉर्ट सुविधा :** यदि पिछले शैक्षिक वर्ष में जिन छात्रों को सरकार द्वारा CWSN बच्चों के स्कूल जाने के लिए विशेष एस्कॉर्ट सुविधा दी गई है। उनकी संख्या अंकित की जानी चाहिए।
- (5) **निःशुल्क साईकिल:** यदि पिछले शैक्षिक वर्ष में जिन छात्रों को सरकार द्वारा स्कूल जाने के लिए निःशुल्क साईकिल दी गई है। उनकी संख्या अंकित की जानी चाहिए।
- 5.2 **प्रोत्साहन (गत शैक्षिक वर्ष 2020–21) केवल कक्षा 6 से 8)** के लिए।  
प्राथमिक कक्षाओं के अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों, सामान्य श्रेणी तथा मुस्लिम वर्ग व अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों के सम्बन्ध में सूचना की प्रविष्टि की जानी है।
- (1) **निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें :** पिछले शैक्षिक वर्ष में विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराई गई थीं उनकी संख्या यहाँ अंकित की जानी है।
  - (2) **निःशुल्क विद्यालय वर्दी :** पिछले शैक्षिक वर्ष में जिन छात्रों को सरकार द्वारा विद्यालय वर्दी दी गई है। उनकी संख्या अंकित की जानी चाहिए।
  - (3) **निःशुल्क परिवहन सुविधा :** यदि पिछले शैक्षिक वर्ष में जिन छात्रों को सरकार द्वारा स्कूल जाने के लिए विशेष परिवहन सुविधा दी गई है। उनकी संख्या अंकित की जानी चाहिए।
  - (4) **निःशुल्क एस्कॉर्ट सुविधा :** यदि पिछले शैक्षिक वर्ष में जिन छात्रों को सरकार द्वारा CWSN बच्चों के स्कूल जाने के लिए विशेष एस्कॉर्ट सुविधा दी गई है। उनकी संख्या अंकित की जानी चाहिए।
  - (5) **निःशुल्क साईकिल:** यदि पिछले शैक्षिक वर्ष में जिन छात्रों को सरकार द्वारा स्कूल जाने के लिए निःशुल्क साईकिल दी गई है। उनकी संख्या अंकित की जानी चाहिए।
- 5.3 **पिछले शैक्षिक वर्ष (2020-21) में CWSN को प्राप्त सुविधा:** इस सारणी में विकलांग बच्चों को जो सुविधाएँ दिलवाई गई उन का व्यौरा दें।
- Note:-** प्री-प्राइमरी का मतलब है पहली कक्षा से नीचे की कक्षाएं।

## Section 6: Annual Examination Result at Elementary Level

(खंड 6: प्रारंभिक स्तर पर वार्षिक परीक्षा परिणाम)

6. **शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए कक्षा 3, 5 और 8 के वार्षिक परीक्षा परिणाम:** कक्षा 3, 5 व 8 में परीक्षा में बैठे व उत्तीर्ण हुए छात्रों का जातिवार विवरण दिया जायेगा।

## Section 7: Board Examination Result 2020-21 (खंड 7: बोर्ड परीक्षा परिणाम 2020-21)

**7.1(a) वर्ष 2020-21 में कक्षा 10वीं का बोर्ड परीक्षा परिणाम:** कक्षा 10 की वर्ष 2020-21 की बोर्ड की परीक्षा देने वाले नियमित (Regular) बच्चों व पास होने वाले बच्चों की संख्या जातिवार भरें।

**7.1(b) वर्ष 2020-21 में कक्षा 10वीं उत्तीर्ण नियमित (Regular) छात्रों की प्राप्तांकों के प्रतिशत् अनुसार संख्या:** बिंदु 7.1 (a) में दर्ज जातिवार पास बच्चों की संख्या बिंदु 7.1(b) में अंकों की सीमा (range of marks) अनुसार भरें। 7.1(b) में भरे जातिवार कुल छात्रों की संख्या 7.1 (a) में दर्ज जातिवार पास छात्रों की संख्या के बराबर रहे।

**7.2(a) व 7.2(b):** स्कूल में कोई अनियमित छात्र (Other than regular student) मौजूद नहीं है इसलिए

**7.2(a) व 7.2(b) तालिका को राज्य UDISE+ DCF 2021-22 से हटा दिया गया है** यदि तालिका 7.2(a) व 7.2(b) UDISE+ DCF में दी गई है तो कृप्या इसे खाली छोड़े।

**7.3 (a) वर्ष 2020-21 में कक्षा 12वीं का नियमित छात्रों का संकायवार बोर्ड परीक्षा परिणाम:** सारणी 7.3 (a) में कक्षा 12 की वर्ष 2020-21 की बोर्ड की Arts, Science and Commerce के परीक्षा देने वाले बच्चों व पास होने वाले बच्चों की संख्या जातिवार भरें।

**7.3 (b) वर्ष 2020-21 में कक्षा 12वीं उत्तीर्ण नियमित (Regular) छात्रों की प्राप्तांकों के प्रतिशत् अनुसार संख्या:** बिंदु 7.3 (a) में दर्ज जातिवार व संकाय वार पास बच्चों की संख्या बिंदु 7.3(b) में अंकों की सीमा (range of marks) अनुसार भरें। 7.3 (b) में भरे जातिवार कुल छात्रों की संख्या 7.3 (a) में दर्ज जातिवार पास छात्रों की संख्या के बराबर रहे।

7.4 (a) व 7.4 (b) स्कूल में कोई अनियमित छात्र (Other than regular student) मौजूद नहीं है इसलिए 7.4(a)  
व 7.4(b) तालिका को राज्य UDISE+ DCF 2021-22 से हटा दिया गया है यदि तालिका 7.4(a) व 7.4(b)  
UDISE+ DCF में दी गई है तो कृपया इसे खाली छोड़े।

### Section 8: Receipts and Expenditure (खंड 8: स्कूल को प्राप्तियां और व्यय)

8.1 वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान स्कूल द्वारा प्राप्त अनुदान और व्यय (सरकारी और सहायता प्राप्त निजी स्कूलों के लिए):

- (a) संयुक्त स्कूल अनुदान (Composite School Grant) : इस स्तम्भ में गत वर्ष में समग्र शिक्षा के अन्तर्गत संयुक्त स्कूल अनुदान इस बिंदु में भरा जाएगा । M.H.R.D. समग्र शिक्षा के नए विशानिर्देशों के अनुसार स्कूल के कुल नामांकन के आधार पर विद्यालय अनुदान राशि को मंजूरी देता है और इसे वर्ष 2021-22 के लिए शिक्षा विभाग के सभी स्कूलों में वितरित किया गया है।

Enrolment range	Prescribed Grant as per enrolment
Enrolment 1 to 15	Rs. 12,500/-
16 to 100	Rs. 25,000/-
101 to 250	Rs. 50,000/-
251 to 1000	Rs. 75,000/-
Above 1000	Rs. 1,00,000/-

**Note:-**इस श्रेणी के अन्तर्गत शिक्षक अनुदान (TLM) के रूप में दी गई रु 500/- की धनराशि की प्रविष्टि नहीं की जानी चाहिए।

- (b) पुस्तकालय अनुदान (Library Grant): यदि समग्र शिक्षा के तहत पुस्तकालय के लिए कोई अनुदान प्राप्त हुआ है, तो कृपया प्राप्त राशि और व्यय भरें।
- (c) बड़े मरम्मत कार्य के लिए अनुदान (Grant for Major Repair): यदि समग्र शिक्षा के तहत बड़े मरम्मत कार्य के लिए कोई अनुदान प्राप्त हुआ है, तो कृपया प्राप्त राशि और व्यय भरें।
- (d) खेल और शारीरिक शिक्षा के लिए अनुदान (Grant for Sports & Physical Education): यदि समग्र शिक्षा के तहत खेल और शारीरिक शिक्षा के लिए कोई अनुदान प्राप्त हुआ है, तो कृपया प्राप्त राशि और व्यय भरें।
- (e) मीडिया और सामुदायिक जुटाव के लिए अनुदान (Grant for Media & Community Mobilization): यदि समग्र शिक्षा के तहत मीडिया और सामुदायिक जुटाव के लिए कोई अनुदान प्राप्त हुआ है, तो कृपया प्राप्त राशि और व्यय भरें।
- (f) एसएमसी / एसएमडीसी के प्रशिक्षण के लिए अनुदान (Grant for Training of SMC/SMDC): यदि समग्र शिक्षा के तहत एसएमसी / एसएमडीसी के प्रशिक्षण के लिए कोई अनुदान प्राप्त हुआ है, तो कृपया प्राप्त राशि और व्यय भरें।
- (g) प्री-स्कूल स्तर पर सहायता के लिए अनुदान (केवल प्राथमिक विद्यालयों / अनुभाग के लिए) (Grant for support at Preschool level) (only for primary schools/sections): यदि समग्र शिक्षा के तहत प्री-स्कूल स्तर पर सहायता के लिए अनुदान (केवल प्राथमिक विद्यालयों / अनुभाग) के लिए कोई अनुदान प्राप्त हुआ है, तो कृपया प्राप्त राशि और व्यय भरें।

8.2 कृपया समग्र शिक्षा के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए स्कूलों द्वारा प्राप्त वित्तीय सहायता का विवरण प्रदान करें।

किसी NGO, PSU, समुदाय या किसी अन्य गैर-सरकारी संगठन से प्राप्त वित्तीय सहायक का विवरण प्रदान करें।

8.3 स्कूल हाँ / नहीं के रूप में जवाब दे कि क्या स्कूल आईसीटी वस्तुओं, खेल उपकरणों और पुस्तकालय के लिए इच्छेवाली रजिस्टर बनाए हुए हैं।

## Section-9: Vocational Education under NSQF at Institutional Level

(खंड 9: संस्थानिक स्तर पर एन.एस.व्यू.एफ. के तहत व्यावसायिक शिक्षा)

**Note:- खंड 9 (Section-9)** केवल NSQF के तहत आने वाले राजकीय स्कूलों द्वारा भरा जाएगा। Vocational Education से संबंधित Data Capture Format केवल NSQF के तहत आने वाले स्कूलों को ही वितरित की जाएगी। 1074 स्कूल NSQF के तहत Vocational Education दे रहे हैं इसलिये केवल यही स्कूल खंड 9 प्रपत्र भरेंगे।

## Section 10: PGI and Other Indicators (Only For Govt. and Govt. Aided Schools)

(खंड 10: प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक और अन्य सूचकांक (केवल सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त निजी स्कूल ही जानकारी प्रदान करेंगे))

### **10.1 PGI Indicators - State (पी.जी.आई. संकेतक - राज्य)**

- 10.1.1 आधार के साथ उन शिक्षकों की संख्या या जिनके यूनिक आईडी को किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस में डाला गया है के बारे में जानकारी प्रदान की जाएगी। सभी सरकारी स्कूल शिक्षा निदेशालय के राज्य एमआईएस पोर्टल पर शिक्षकों को डेटा उपलब्ध कराने के लिए निर्देशित किया गया है। तो जिन शिक्षकों का डेटा राज्य एमआईएस पोर्टल पर उपलब्ध कराया गया है उन्हें इस बिंदु पर भरा जाएगा।
- 10.1.2 क्या स्कूल का मूल्यांकन पूरा हो गया है? कृप्या केवल हाँ / नहीं भरे।
- 10.1.3 क्या स्कूल का मूल्यांकन के आधार पर सुधार योजना बनाई है? कृप्या केवल हाँ / नहीं भरे।
- 10.1.4 क्या पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम (PFMS) के तहत स्कूल पंजीकृत है? कृप्या केवल हाँ / नहीं भरे।

### **10.2 PGI Indicators - District (पी.जी.आई. संकेतक - जिला)**

- 10.2.1 क्या स्कूल को फिट इंडिया स्कूल के रूप में प्रमाणित किया गया है? हाँ = 1 या नहीं = 2 में जवाब दें।
- 10.2.2 क्या विद्यालय प्रत्येक शिक्षार्थी को सहकर्मी/स्वयं/शिक्षक मूल्यांकन के आधार पर समग्र रिपोर्ट कार्ड प्रदान कर रहा है? हाँ = 1 या नहीं = 2 में जवाब दें।
- 10.2.3 क्या आपका विद्यालय एक अनुकरणीय विद्यालय है? हाँ = 1 या नहीं = 2 में जवाब दें।

### **10.3 अन्य संकेतक (Other Indicators)**

- 10.3.1 क्या स्कूल में इलेक्ट्रॉनिक रूप से छात्र उपस्थिति दर्ज करने के लिए एक प्रणाली है? कृप्या केवल हाँ / नहीं भरें।

**Note:** - माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के MIS पोर्टल में दैनिक आधार पर छात्रों की उपस्थिति ऑनलाइन भरने की सुविधा है। तो, स्कूल को हाँ = 1 भरना चाहिए।

- 10.3.2 क्या विद्यालय में शिक्षकों की उपस्थिति इलेक्ट्रॉनिक रूप से दर्ज करने की व्यवस्था है? कृप्या केवल हाँ / नहीं भरे।

**Note:** - जिस स्कूल में शिक्षकों की उपस्थिति की इलेक्ट्रॉनिक बायोमेट्रिक प्रणाली है। वह हाँ= 1 भरेंगे।

- 10.3.3 क्या स्कूल में यूथ क्लब का गठन किया है? कृप्या केवल हाँ / नहीं भरे।
- 10.3.4 क्या स्कूल में इको क्लब का गठन किया है? कृप्या केवल हाँ / नहीं भरे।
- 10.3.5 क्या स्कूल में सभी शिक्षकों को शिक्षक पहचान पत्र जारी किए गए हैं? कृप्या केवल हाँ / नहीं भरे।
- 10.3.6 राज्य एसएसए स्व-प्रमाणन प्राप्त किया? कृप्या केवल हाँ / नहीं भरे।

**Note:** - पीजीआई संकेतक बहुत महत्वपूर्ण हैं और शिक्षा मंत्रालय द्वारा इसका उपयोग राज्य की रैंकिंग के लिए किया जाएगा। कृप्या इसे बहुत ध्यान से देखें।

**Note:-** शिक्षा मंत्रालय के निर्देशों अनुसार, प्रत्येक सरकारी स्कूल में एक (Youth & Eco Club) युवा और ईको क्लब का गठन करना अनिवार्य है। कृपया 10.2.1 और 10.2.2 के लिए स्थिति के अनुसार उत्तर दें।

### Section 11: School Safety (For All type of Schools)

#### खंड 11: स्कूल सुरक्षा (सभी प्रकार के स्कूलों के लिए)

स्कूल सुरक्षा प्रयासों को उन सभी प्रकार के खतरों पर ध्यान देने की आवश्यकता है जो बच्चों की भलाई को प्रभावित कर सकते हैं। इनमें प्राकृतिक खतरे जैसे बाढ़ और भूकंप के साथ-साथ मानव निर्मित खतरे शामिल हो सकते हैं। खतरों में संरचनात्मक और गैर-संरचनात्मक कारक शामिल हैं। Note:- केवल हाँ / नहीं में जवाब दें।

11.1	आपदाओं में भूकंप, सुनामी, बाढ़, ज्वालामुखी, आग और जंगल शामिल हैं। आपदा प्रबंधन में यह योजना शामिल है कि आपदा या आपातकाल के पहले, उसके दौरान क्या करना है। अगर स्कूल ने आपदाओं के लिए कोई योजना तैयार की है तो कृपया हाँ = 1 अन्यथा No=2 भरें।
11.2	स्ट्रक्चरल ऑडिट में इमारतों और परिसरों की एक व्यापक जांच शामिल है, जिनमें शामिल हैं: लोड की स्थिति का सत्यापन। भवन के संरचनात्मक प्रणाली का मूल्यांकन। मानव निर्मित संरचनात्मक कारक शामिल हैं i.e. जर्जर इमारतें, खराब डिजाइन वाली संरचनाएं, दोषपूर्ण निर्माण, खराब ढंग से बनाए गए बुनियादी ढाँचे, ढीले भवन निर्माण तत्व आदि। यदि भवन संरचना का कोई ऑडिट संरचनात्मक खतरों को ध्यान में रखते हुए किया गया है, तो कृपया 11.2 के लिए हाँ = 1 अन्यथा नहीं = 2 भरें।
11.3	मानव निर्मित गैर-संरचनात्मक i.e. शिथिल रूप से भारी वस्तुएं, साँपों द्वारा परिसर का अतिक्रमण और कोई अन्य कीट शामिल हैं, टूटे हुए या नहीं सीमा की दीवारें, असमान फर्श, अवरुद्ध निकासी मार्ग, खराब रूप से डिजाइन और रखा गया फर्नीचर जो दुर्घटनाओं और चोट का कारण बन सकता है, अपर्याप्त स्वच्छता सुविधाएं आदि। यदि भवन का गैर-संरचनात्मक खतरों को ध्यान में रखते हुए किया गया है, तो कृपया 11.2 के लिए हाँ=1 अन्यथा नहीं=2 भरें।

### Section 12: Gifted Children (For All Type of Schools)

#### खंड 12: प्रतिभाशाली बच्चे (सभी प्रकार के स्कूलों के लिए)

12.1: सामान्य छात्रों की तुलना में विशेष योग्यता रखने वाले छात्रों को एक नया शब्द यानि गिफ्टेड चिल्ड्रन दिया गया है। इन छात्रों की पहचान की जानी चाहिए और उन्हें 12.1 में भरा जाना चाहिए।

12.2: यदि प्रतिभाशाली बच्चों में से कोई मार्गदर्शक/परामर्शदाता चुना जाता है, तो कृपया मार्गदर्शक/परामर्शदाता के रूप में चुने गए बच्चों की संख्या प्रदान करें।

12.3: सरकार प्रतिभाशाली बच्चों के सुधार, प्रगति और विकास के उद्देश्य से विशेष मार्गदर्शन/शिक्षण शिविर आयोजित करती है। विद्वानों को एक्सपोजर देने के उद्देश्य से हर साल एनटीएसई छात्रवृत्ति पुरस्कार विजेताओं के लिए मार्गदर्शन/शिक्षण कार्यक्रम विशेष रूप से आयोजित किया जाता है। इस प्रकार के शिविर राज्य स्तर या राष्ट्रीय स्तर पर भी आयोजित किए जा सकते हैं। इसलिए, यदि कोई प्रतिभाशाली बच्चा इन राज्य/राष्ट्रीय स्तर के शिविरों में शामिल हुआ है, तो उसके अनुसार जानकारी भरें।

प्रपत्र भरते समय किसी प्रकार की परेशानी या शंका समाधान हेतु आपके जिले के अधिकारी से निम्न फोन नंबरों पर संपर्क किया जा सकता है।

**For any help or query regarding filling of U-DISE+ DCF 2021-22 please feel to free to contact on following mobile numbers**

S No	District Name	Officer/Official Name	Designation	Contact No.
1	Ambala	Sh. Subhash Kumar	Programmer	9813050754
2	Bhiwani	Sh. Baljeet Singh Dahiya Ms. Ritu Chanana	APC Programmer	9416547192 9416497844
3	Charkhi Dadri	Sh. Sandeep Kumar Sh. Harmender Singh	APC MIS Coordinator	9813457521 9034300629
4	Faridabad	Ms. Latika Malik	Programmer	9873200959
5	Fatehabad	Sh. Manjeet Grewal	Programmer	9992666696
6	Gurugram	Sh. Surender Kumar Ms. Smile Gupta Sh. Ramchandra	APC MIS Coordinator Data Entry Operator	9416595383 9821153395 9871105790
7	Hisar	Sh. Manjeet Grewal	Programmer	9992666696
8	Jind	Ms. Sakshi	Programmer	9467511019
9	Jhajjar	Sh. Yogesh Panghal Sh. Sunil Kumar	APC MIS Coordinator	9992471808 8708405812
10	Kaithal	Sh. Vikas Nagpal	Programmer	7015535553
11	Karnal	Sh. Pawan Singh	Programmer	9813248478
12	Kurukshetra	Sh. Rajan Mittal	Programmer	9215619197
13	Mahendragarh	Sh. Jitender Yadav	Programmer	9886150704 9466009991
14	Nuh	Sh. Abhishek Singh Sh. Naseem Ahmad	APC Clerk	9416473978 9812681393
15	Palwal	Sh. Rakesh Balyan	Programmer	9315666606
16	Panchkula	Sh. Din Dayal Ms. Shikha Singh	APC MIS Coordinator	9416310466 9466362110
17	Panipat	Sh. Sushil Kumar	Programmer	9896470047
18	Rewari	Sh. Ajay Kumar Sh. Ajay Kumar	APC Programmer	9416133664 9416878822
19	Rohtak	Sh. Manoj Kumar Ms. Monika	APC Data Entry Operator	9812117178 8168127082
20	Sirsa	Sh. Neeraj Makkar	Programmer	9710069800
21	Sonipat	Sh. Anil Nain	Programmer	9416077273
22	Yamunanagar	Sh. Raman Ramdev	Programmer	9034232915

In case of any further inquiry you can also contact us through email on [udiseplus.queries2122@gmail.com](mailto:udiseplus.queries2122@gmail.com).

Copies of blank U-DISE+ DCF 2021-22 can be downloaded from <http://www.hsspp.in/UDISE.aspx>. Help material/videos etc. will also available here for filling the UDISE+ DCF 2021-22. The data feeding will be done online on UDISE+ official website <http://www.udiseplus.gov.in/home> of Ministry of Education (MoE).